LATEST

NEWS

# Election

## Date : 31st Oct. 2025

# Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

# New provision for registering voters in spl intensive revision

## If Relocated To Raj, Check Last State's SIR Rolls For Names

Times News Network

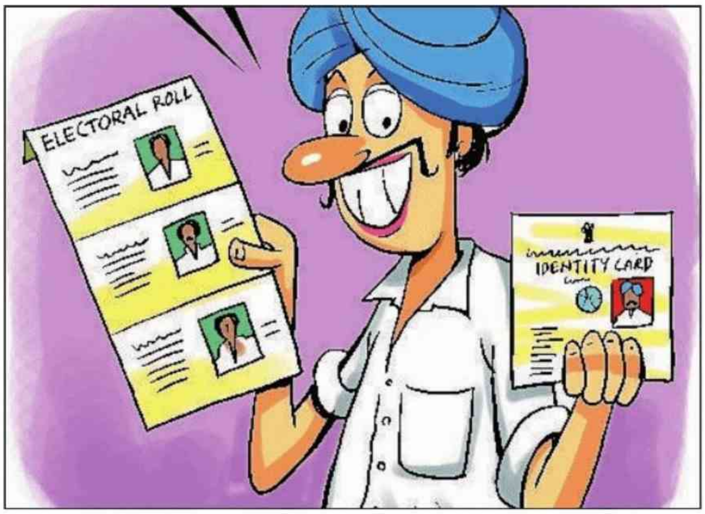


**Jaipur:** The Election Commission has introduced a new provision for the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral roll, impacting voters across 12 states, including Rajasthan.

Under the new guidelines, electors will be required to trace their names—or those of a parent or relative—in the electoral roll from the last SIR conducted between 2002 and 2005. For voters who have recently relocated to Rajasthan from other states, the process allows them to search the electoral rolls from their previous state for the same period. Importantly, completing this tracing will exempt them from the need to submit any of the 13 prescribed documents to prove their voter eligibility.

This initiative is set to commence on Nov 4 and aims to streamline the voter registration process for individuals and their families. Booth Level Officers (BLOs) are scheduled to visit the homes of existing voters at least three times between Nov 4 and Dec 4, ensuring that each voter receives the Enumeration Form (EF). These officers will assist voters in verifying or linking their names and those of relatives with the previous SIR records conducted in 2002, thereby facilitating a smoother registration experience.

In addition to in-person assistance, voters have the option to fill the enumeration forms online by accessing the Election Commission of India's (ECI) website at voters.eci.gov.in. An all-India database of past SIRs will be made available on the website, which voters can use in collaboration with BLOs to ensure their names have been accurately recorded.

Following the submissions of the enumeration forms, the election registration officers (ERO) and assistant election registration officers (AEROs) will compile a draft roll. Notices will be sent to voters whose names do not match or are unable to be linked to the earlier electoral rolls, allowing them to present their case for inclusion or exclusion from the final electoral roll.

Voters who are unable to trace their names or those of relatives in the required electoral rolls will need to provide the stipulated documentation to confirm their eligibility after the draft roll is published on Dec 9.

### DOCUMENTS REQUIRED IF NAME NOT TRACED

- Any Identity Card/ Pension Payment Order issued to a regular employee/ pensioner of any Central Govt/ State Govt/ Public Sector Undertaking
- Any Identity Card/ Certificate/ Document issued by Govt/ Local Authorities/ Banks/ Post Office/ LIC/ Public Sector Undertaking issued before 01.07.1987
- Birth Certificate issued by competent authority
- Passport
- Matriculation/ educational certificate by recognised board/ university
- Permanent Residence Certificate issued by competent state authority
- Forest Rights Certificate
- OBC/SC/ST or any caste certificate issued by competent authority
- National Register of Citizens (wherever exists)
- Family Register prepared by state/ local authorities
- Any land/ house allotment certificate issued by govt
- Aadhaar (only as proof of identity and not as citizenship)

# 'विशेष गहन पुनरीक्षण के लिये 4 नवम्बर से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ'

■ जिले के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी

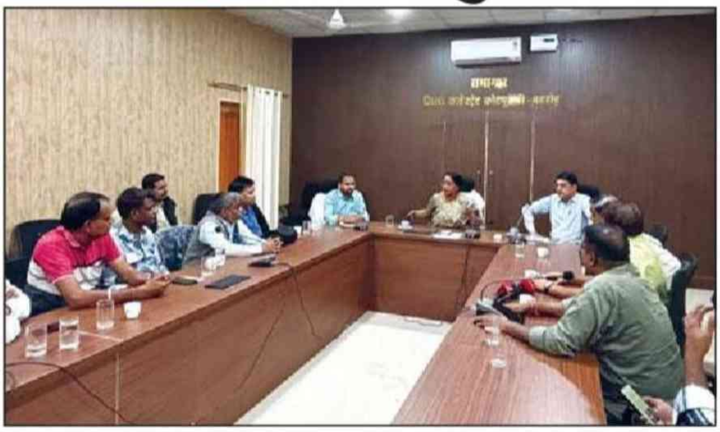

पत्रकारों से वार्ता करती जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी।

**कोटपूतली।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी मीडीया से बातचीत करते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत राज्य में अब तक लगभग 70 प्रतिशत से अधिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। इसी अनुपात में जिले में भी कार्य हुआ है।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियों देखी जा सकती है।

पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए है। यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते हैं।

# त्रुटिरहित और पारदर्शी बने मतदाता सूची : एसडीएम

**कोटपूतली।** निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम रामावतार मीणा ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही एसआईआर

- **राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा**

एसडीएम रामावतार मीणा ने गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के बारे में विस्तृत चर्चा की।

के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने के लिये प्रेरित किया। विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलए प्रथम की नियुक्ति की जा चुकी हैं। विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली की 225 भाग संख्याओं हेतु बीएलए द्वितीय की नियुक्ति की जानी हैं।

एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारी का सहयोग करवायें। जिससे मतदाता सूची पारदर्शी व त्रुटि रहित बने इसके लिये पात्र सभी व्यक्तियों का नाम जुड़वाने और अपात्र का नाम हटवाने में सहयोग करें। आगामी 04 नवंबर से बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर मुद्रित गणना प्रपत्र दो प्रतियों में आम मतदाताओं को वितरित करेंगे और एक प्रति आवश्यक दस्तावेज के साथ प्राप्त कर ऑनलाईन प्रविष्ठि की जायेगी।

पंजाब केसरी FRI,31 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 7

# मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने पर जोर

## ■ एसडीएम रामौतार मीणा ने बैठक में दिए निर्देश

कोटपूतली-बहरोड़, 30 अक्टूबर (आनंद पंडित): निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम रामौतार मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को निर्वाचन कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 पर विस्तृत चर्चा की गई।

एसडीएम मीणा ने दलों से अपील की कि वे सक्रिय सहयोग देकर मतदाता सूची को त्रुटिरहित और सटीक बनाएं। उन्होंने बताया कि कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में बीएलए प्रथम की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 225 मतदान भागों में बीएलए द्वितीय की नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा की जानी शेष है। 4 नवंबर से बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, एलबीएस कॉलेज, नगर परिषद, पंचायत समिति कार्यालयों व अन्य प्रशासनिक भवनों में हेल्पडेस्क बनाए गए हैं। मीणा ने बीएलओ एप में न्यूनतम मैपिंग करने वाले 23 बीएलओ को अंतिम चेतावनी देते हुए आज ही 100 प्रतिशत मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।

**कोटपूतली :** *राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग लेते एसडीएम।*

पंजाब केसरी FRI,31 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

# 'टेलीकॉम कंपनियां केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन, ऑडियो संदेश ही प्रसारित करें'

जयपुर, 30 अक्टूबर (विसं) : अंता विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक विज्ञापन, रिकार्डेड ऑडियो कॉल और बल्क मोबाइल संदेश आदि का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन के बिना प्रसारण करने सहित आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन विभाग संबंधित मोबाइल ऑपरेटर व टेली मार्केटिंग फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस विषय में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी है। उन्होंने अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कमजोर नेटवर्क वाले मतदान केन्द्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी ऑपरेटर आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। इसके लिए मोबाइल कंपनी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके प्लेटफार्म से कोई भी गैर-अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन, अपील अथवा बल्क चुनावी संदेश प्रसारित नहीं हो।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मोबाइल कंपनियां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें। निर्वाचन विभाग के विशेषाधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा कि सभी मोबाइल ऑपरेटर अपनी टेली मार्केटिंग सेवाएं देने वाली ग्राहक कंपनियों को भी निर्देश दें कि मोबाइल संदेश आदि के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो।

दैनिक नवज्योति

Jaipur City - 31 Oct 2025 - Page 9

# टेलीकॉम कंपनियां केवल सर्टिफाइड विज्ञापन, ऑडियो संदेश ही प्रसारित करें: महाजन

**ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर।** अंता विधानसभा उपचुनाव के दौरान राजनीतिक विज्ञापन, रिकार्डेड ऑडियो कॉल और बल्क मोबाइल संदेश आदि का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन के बिना प्रसारण करने सहित आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन विभाग सम्बंधित मोबाइल ऑपरेटर और टेली मार्केटिंग फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसको लेकर मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी है। महाजन ने गुरुवार को मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी ऑपरेटर आचार संहिता की पालना करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। यदि कोई चुनाव अभ्यर्थी या उसका एजेंट किसी टेली मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से गैर प्रमाणित संदेश प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मोबाइल ऑपरेटर को ऐसी रिपोर्ट अथवा शिकायत होने पर संबंधित के खिलाफ त्वरित जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महाजन ने स्पष्ट किया कि मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटे के दौरान मोबाइल फोन संदेश के माध्यम से किसी पार्टी या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील करना प्रतिबंधित है।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 31 Oct 2025 - Page 9

# मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

**ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर।** मतदाता सूचियों की शुद्धता, पूर्णता एवं समयबद्ध अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए जयपुर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 शुरू कर दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीना ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक होगा। इसके बाद घर-घर मतदाता गणना प्रपत्र वितरण एवं मतदाता केन्द्रों का पुनरीक्षण 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसम्बर को होगा तथा दावे एवं आपत्तियां 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगे। प्राप्त दावे आपत्तियों का निस्तारण 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। कुल 5046 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 744 नए केन्द्रों का समावेश किया गया है।

मीणा ने बताया कि आयोग द्वारा इस विशेष पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2026 को योग्यता तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, 18 वर्ष या अधिक आयु का है और किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है, वह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का पात्र होगा।

**एसआईआर की राजीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जानकारी** : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतिभा वर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देने के साथ ही कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की। जिससे कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

**अभियान •** 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सर्वे करेंगे बीएलओ, 7 फरवरी को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

# वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत, घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, कलेक्टर ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

भास्कर संवाददाता | श्रीगंगानगर

देश के 12 राज्यों में 25 साल बाद वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इस संबंध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की घोषणा की है। इसमें राजस्थान सहित 12 प्रदेश शामिल हैं। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.g ov.in पर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची देखी जा सकती है। इसके अलावा https://election.raj asthan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। इस मौके पर एडीएम (प्रशासन) व उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, एडीएम (सर्तकता) रीना भी उपस्थित थे।

## मैपिंग जारी, बीएलओ भरवाएंगे गणना प्रपत्र

जिला कलेक्टर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिले में अब तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों की मदद ली जाएगी।

इन्हें बीएलए कहा जाएगा। इसके अलावा अन्य कर्मचारी व एनसीसी-एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरवाना होगा।

एसआईआर को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करने चाहिए। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। बीएलए मतदाताओं तक विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी पहुंचाने, जागरूक करने और मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे। बीएलए हर रोज 50 परिगणना प्रपत्र प्रमाणित कर बीएलओ को जमा करवा सकते हैं। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, श्रीगंगानगर एसडीएम नयन गौतम, भाजपा से आशुतोष गुप्ता, आईएनसी से भीमराज डाबी, आम आदमी पार्टी से शंकर मेघवाल, बीएसपी से भजनसिंह घारू, भाकपा से विजय रेवाड़ मौजूद रहे।

## यह रहेगी टाइमलाइन

जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यह 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाने होंगे। इसमें आधार कार्ड भी शामिल है। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

# जिला निर्वाचन अधिकारी डा. मंजू ने मीडियाकर्मियों को करवाया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत

## 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे बीएलओ

**श्रीगंगानगर।** मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिले में अब तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए की मदद ली जाएगी तथा अन्य कार्मिक व एनसीसी एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। ईएफ (एन्यूमरेशन फार्म) भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे।

दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। दस्तावेजों में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाने होंगे। आधार भी पहचान के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन व उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, एडीएम सर्तकता रीना भी उपस्थित थी।

## 4 नवम्बर से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, 4 दिसम्बर तक चलेगा वितरण-संग्रहण कार्य

# जिले में बाहरी वोटरों की बनेगी कुंडली, देने होंगे दस्तावेज

**श्रीगंगानगर.** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 4 नवम्बर से शुरू होगा, जो 4 दिसम्बर तक चलेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सभी चरणों की जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है ताकि कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई अपात्र

व्यक्ति शामिल न रहे। बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित करेंगे और मतदाताओं की जानकारी का मिलान कराएंगे। मतदाता अपने स्तर पर भी ऑनलाईन यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 9 दिसम्बर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जिले में 255 नए मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करने की अपील की।

**बीएलओ प्रत्येक मतदाता से तीन बार संपर्क करेंगे :** विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता से तीन बार संपर्क करेंगे। परिगणना प्रपत्र भरने के लिए कोई दस्तावेज मांगा नहीं जाएगा। भरे हुए प्रपत्र एईआरओ के पास जमा होंगे। ड्राफ्ट सूची के बाद दावे और आपत्तियां 9 दिसम्बर से 9 जनवरी तक ली जाएंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।

# मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

प्रशान्त ज्योति न्यूज

- जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को एसआईआर की प्रक्रिया से अवगत करवाया
- 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे बीएलओ

**श्रीगंगानगर।** मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिले में अब तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए की मदद ली जाएगी तथा अन्य कार्मिक व एनसीसी एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। ईएफ (एन्यूमरेशन फार्म) भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे।

दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। दस्तावेजों में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाने होंगे। आधार भी पहचान के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन व उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, एडीएम सर्तकता रीना भी उपस्थित थी।

# विशेष गहन पुनरीक्षण के लिये 4 नवम्बर से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

## राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी

**श्रीगंगानगर (एसबीटी न्यूज)।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके पश्चात राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, गंगानगर एसडीएम नयन गौतम, भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष गुप्ता, आईएनसी से भीमराज डाबी, आम आदमी पार्टी से शंकर मेघवाल, बीएसपी से भजन सिंह घारू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विजय रेवाड़ सहित अन्य मौजूद रहे।

# पुनरीक्षण के लिये 4 से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

## *बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी*

**फाइटर न्यूज़ @ श्रीगंगानगर**

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं

**» मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण**

**» 4 दिसम्बर तक होगा ईएफ वितरण और संग्रहण कार्य**

केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता | शेष... | **पेज 2 पर**

# मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित

**श्रीगंगानगर, 30 अक्टूबर।** मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान मसमबजपवदण्तरॆंजींदण्हवअण्पद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिले में अब तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए की मदद ली जाएगी तथा अन्य कार्मिक व एनसीसी एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे।

# मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

**» जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को करवाया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत**

तेज | रिपोर्टर श्रीगंगानगर

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिले में अब तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए की मदद ली जाएगी तथा अन्य कार्मिक व एनसीसी एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। ईएफ (एन्यूमरेशन फार्म) भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक किया जाएगा। दस्तावेजों में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाने होंगे। आधार भी पहचान के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद 7 फरवरी को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन व उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, एडीएम सतर्कता रीना भी उपस्थित थी।

एक सशक्त और ईमानदार कलम...
अमिट अक्षर
दैनिक समाचार पत्र
मो. नं. 9462377309

# जिला निर्वाचन अधिकारी ने की उप चुनाव कार्यों में प्रगति की समीक्षा

(अमिट अक्षर)

**बारां, 30 अक्टूबर।** अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव 2025 के तहत चुनाव संबंधी कार्यों की समयबद्ध सम्पादन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने गठित सभी चुनाव प्रकोष्ठों के निर्धारित कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी प्रभारी अधिकारी उन्हें सौंपे गए कार्य दायित्वों को पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया व सुगम मतदान सम्पन्न कराने के लिए प्रबंध किए जाएं।

उन्होंने मतदान समाप्ति के पश्चात ड्यूटी से मुक्त हुए महिला कार्मिकों को घर तक पहुंचाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जिला निर्वाचन आईटी प्रकोष्ठ को निर्देशित किया कि सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही एप पर मिलने वाली शिकायतों के संबंध में नियमित मॉनिटरिंग की जाए। वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ को जिले के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी करने के संबंध में निर्देश दिए। कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ को धारा 163, सभाओं तथा रैलियों, सुविधा एप व अन्य आवश्यक कानून व्यवस्थाओं के संबंध में तथा जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों की व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में गश्तीदलों को पूर्ण सक्रिय रहकर संदिग्ध वाहनों व स्थानों पर सघन चैकिंग कर अवैध सामग्री व धन राशि की धरपकड़ करने के कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों से समयबद्ध प्रकोष्ठों के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने होम वोटिंग एवं पोस्टल बैलेट संबंधित तैयारियां करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, ईवीएम प्रकोष्ठ प्रभारी एवं एडीएम जब्बर सिंह, मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी योगेंद्र शर्मा, रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

# एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो पर आयोग की कड़ी निगरानी

(अमिट अक्षर)

**बारां, 30 अक्टूबर।** निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए।

आयोग के निर्देशों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए।

तोमर ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित के रूप में चिह्नित किया जाए। उन्होंने बताया कि ये प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर भी लागू होंगे।

तोमर ने कहा कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अंता विधानसभा उपचुनाव

# मतदान के लिए महिला एवं दिव्यांगजन अधिकारियों को दिया द्वितीय प्रशिक्षण

( अमित अक्षर )

**बारां, 30 अक्टूबर।** अंता विधानसभा के उपचुनाव के लिए कोटा रोड पर बटावदी स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में चल रहे मतदान दल कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण में गुरुवार को तृतीय दिवस महिला पीठासीन अधिकारियों सहित प्रथम, द्वितीय व तृतीय महिला मतदान अधिकारी व दिव्यांगजन मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को उनके कार्य व दायित्व के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही मतदान प्रक्रिया, ईसीआई नेट, मॉक पोल, सीआरसी, मतदाता रजिस्टर, प्रपत्र संधारण, अमिट स्याही, सहित सम्पूर्ण मतदान

प्रक्रिया का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम सत्र में सैद्धांतिक व द्वितीय सत्र में प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। प्रायोगिक प्रशिक्षण में ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की कार्य प्रणाली, उन्हें कनेक्ट करना तथा मॉक पोल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही वीडियोग्राफर सुपरवाईजर तथा माइक्रो आब्जर्वर को भी प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य व दायित्व के बारे में भी बताया गया। सभी मतदान अधिकारियों ने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को सराहा। एसई वाटरशेट मनोज पूरब गोला व अरुण तिवारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था की गई। वहीं सुनील कुमार शर्मा व धर्मेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों की टीम ने प्रशिक्षण दिया।

दैनिक भास्कर बारां 31-10-2025

# स्वीप अभियान में सतरंगी सप्ताह 2 से

बारां| जिले में अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने व विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, सहरिया जनजाति, घुमंतू जाति वर्ग, महिला एवं युवा मतदाताओं एवं अन्य मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता कार्यक्रम (स्वीप) के तहत 2 से 8 नवंबर तक मतदाता जागरूकता सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्वीप प्रभारी राजवीर सिंह चौधरी ने बताया कि स्वीप अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले सतरंगी सप्ताह के दौरान 2 नवंबर को जनजाति, ट्रांसजेंडर एवं घुमंतु जाति वर्ग को जागरूक करने के लिए लोक नृत्य कार्यक्रम में हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे स्लोगन, 3 नवंबर को श्रमिक व मजदूर वर्ग के लिए म्यूजिकल बैंड वादन एवं अंगुली से निशान राष्ट्र के नाम स्लोगन, 4 नवंबर को सर्विस वोटर्स वर्ग को लक्षित करते हुए समावेशी वॉकथॉन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में स्लोगन, 5 नवंबर को विशेष योग्यजन मतदाताओं द्वारा ट्राई साइकिल रैली हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन, 6 नवंबर को युवा मतदाताओं द्वारा रैली व फ्लैश मोब मताधिकार का प्रयोग करेंगे वोट करेंगे वोट करेंगे स्लोगन, 7 नवंबर को महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता एवं महिला मार्च वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी स्लोगन तथा 8 नवंबर को वोट ट्री व दीपदान कार्यक्रम लालच पर होगी चोट सोच समझ कर करेंगे वोट स्लोगन पर आयोजित किया जाएगा। सप्ताह की अवधि में प्रतिदिन अलग-अलग रंगों की थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

दैनिक भास्कर बारां 31-10-2025

# स्वीप अभियान में सतरंगी सप्ताह 2 से

बारां| जिले में अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने व विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, सहरिया जनजाति, घुमंतू जाति वर्ग, महिला एवं युवा मतदाताओं एवं अन्य मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता कार्यक्रम (स्वीप) के तहत 2 से 8 नवंबर तक मतदाता जागरूकता सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्वीप प्रभारी राजवीर सिंह चौधरी ने बताया कि स्वीप अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले सतरंगी सप्ताह के दौरान 2 नवंबर को जनजाति, ट्रांसजेंडर एवं घुमंतु जाति वर्ग को जागरूक करने के लिए लोक नृत्य कार्यक्रम में हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे स्लोगन, 3 नवंबर को श्रमिक व मजदूर वर्ग के लिए म्यूजिकल बैंड वादन एवं अंगुली से निशान राष्ट्र के नाम स्लोगन, 4 नवंबर को सर्विस वोटर्स वर्ग को लक्षित करते हुए समावेशी वॉकथॉन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में स्लोगन, 5 नवंबर को विशेष योग्यजन मतदाताओं द्वारा ट्राई साइकिल रैली हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन, 6 नवंबर को युवा मतदाताओं द्वारा रैली व फ्लैश मोब मताधिकार का प्रयोग करेंगे वोट करेंगे वोट करेंगे स्लोगन, 7 नवंबर को महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता एवं महिला मार्च वोट करूंगी तभी तो बढूंगी स्लोगन तथा 8 नवंबर को वोट ट्री व दीपदान कार्यक्रम लालच पर होगी चोट सोच समझ कर करेंगे वोट स्लोगन पर आयोजित किया जाएगा। सप्ताह की अवधि में प्रतिदिन अलग-अलग रंगों की थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

एक सशक्त और ईमानदार कलम...
अमिट अक्षर
दैनिक समाचार पत्र
मो. नं. 9462377309

# सोशल मीडिया पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त

**( अमिट अक्षर )**
**बारां, 30 अक्टूबर।** अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 के तहत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार व जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में मीडिया प्रकोष्ठ एवं मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

एमसीएमसी के प्रभारी सहायक निदेशक जनसंपर्क योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स एवं अन्य माध्यमों द्वारा नियमों के विरूद्ध पोस्ट की जा रही थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार यूट्यूबर्स एवं संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पेड न्यूज के प्रकरण भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित और बाहर से आने वाले यूट्यूबर्स से समझाइश भी की जा रही है कि वे आदर्श आचार संहिता एवं एमसीएमसी के नियमों के अनुसार ही सोशल मीडिया पर संतुलित विषयवस्तु के साथ ही पोस्ट करें। इसके साथ ही ए.आई आधारित पोस्ट में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अथवा डिजिटल रूप से संवर्धित होने का स्पष्ट प्रकटीकरण भी करें।

दैनिक भास्कर

बारां 31-10-2025

# मतदाता जागरूकता के तहत हुआ कार्यक्रम

बारां| जिले में अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में विधानसभा उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से विश्व बचत दिवस के अवसर पर मांगरोल स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस दौरान प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने बैंक कर्मियों एवं उपस्थित जन को धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने का संकल्प कराया। इस दौरान स्वीप सहप्रभारी अमित भार्गव ने निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशंस से परिचित करवाकर उन्हें डाउनलोड करवाया तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से पंजीयन करने के साथ अपने ईपिक में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई। साथ ही सीविजिल ऐप द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने पर 100 मिनट में समाधान पाने की प्रक्रिया समझाई, वहीं केवाईसी ऐप द्वारा अपने क्षेत्र से चुनाव में उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में बताया। दिव्यांगजन को सक्षम ऐप के माध्यम से मतदान दिवस पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। साथ ही 85 प्लस के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम वोटिंग की सुविधा से अवगत कराया तथा अपने परिचित जन को भी इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में बताने एवं मतदान करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सेवा प्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा, फील्ड अधिकारी दिलखुश मीणा, पीओ राहुल छितरोलिया, वरिष्ठ सहायक विनोद मीणा आदि मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर बारां 31-10-2025

# पुलिस पर्यवेक्षक ने देखें संवेदनशील बूथ

बारां| जिले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव में निगरानी के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने गुरुवार को अंता क्षेत्र के सोरसन, मानपुरा नियाना, चहेडिया व मिर्जापुर स्थित संवेदनशील मतदान केंद्रो का निरीक्षण किया। पुलिस पर्यवेक्षक ने खजूरनाकलां में आमजन के बीच भयमुक्त मतदान का वातावरण तैयार करने के लिए निकाले गए बीएसएफ के फ्लैग मार्च का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा व लाइजनिंग अधिकारी साथ रहे।

# सोशल मीडिया पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन हुआ सख्त

बारां| अंता विधानसभा उप चुनाव के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर व जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्वसिंह तोमर के निर्देशन में मीडिया प्रकोष्ठ एवं मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। एमसीएमसी के प्रभारी सहायक निदेशक जनसंपर्क योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया द्वारा नियमों के खिलाफ पोस्ट की जा रही थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पेड न्यूज के मामले भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित और बाहर से आने वाले संबंधित से समझाइश भी की है कि वे आदर्श आचार संहिता एवं एमसीएमसी के नियमों के अनुसार ही सोशल मीडिया पर संतुलित विषयवस्तु के साथ ही पोस्ट करें। इसके साथ ही एआई आधारित पोस्ट में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अथवा डिजिटल रूप से संवर्धित होने का स्पष्ट प्रकटीकरण के निर्देश दिए है।

पत्रिका

### जिला निर्वाचन अधिकारी ने की उप चुनाव के कार्यों में प्रगति की समीक्षा

# मप्र सीमा के जिलों पर गश्ती दल रखें सतर्कता

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**बारां.** अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव 2025 के तहत चुनाव संबंधी कार्यों की समयबद्ध सम्पादन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने गठित सभी चुनाव प्रकोष्ठों के निर्धारित कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में गश्तीदलों को पूर्ण सक्रिय रहकर संदिग्ध वाहनों व स्थानों पर सघन चैकिंग कर अवैध सामग्री व धन राशि की धरपकड़ करने के कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों से समयबद्ध प्रकोष्ठों के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी प्रभारी अधिकारी उन्हें सौंपे गए कार्य दायित्वों को पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया व सुगम मतदान सम्पन्न कराने के लिए प्रबंध किए जाएं।

उन्होंने मतदान समाप्ति के पश्चात ड्यूटी से मुक्त हुए महिला कार्मिकों को घर तक पहुंचने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जिला निर्वाचन आईटी प्रकोष्ठ को निर्देशित किया कि सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से

**बारां.** जिला निर्वाचन अधिकारी ने की उप चुनाव के कार्यों में प्रगति की समीक्षा

समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही एप पर मिलने वाली शिकायतों के संबंध में नियमित मॉनिटरिंग की जाए। वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ को जिले के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी करने के संबंध में निर्देश दिए। कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ को धारा 163, सभाओं तथा रैलियों, सुविधा एप व अन्य आवश्यक कानून व्यवस्थाओं के संबंध में तथा जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों की व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। मीडिया प्रकोष्ठ को विभिन्न चैनलों की खबरों पर निगरानी, पेड न्यूज, फेक न्यूज, एआई जनरेटेड सामग्री, राजनीतिक विज्ञापन एवं चुनाव प्रचार संबंधी विभिन्न गतिविधियों के संबंध में निर्देश दिए।उन्होंने होम वोटिंग एवं पोस्टल बैलेट संबंधित तैयारियां करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, ईवीएम प्रकोष्ठ प्रभारी एवं एडीएम जब्बर सिंह, मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी योगेंद्र शर्मा, रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्रिका

आबकारी विभाग की कार्रवाई

# अवैध हथकड़ शराब जब्त, 1100 लीटर वॉश नष्ट की

**छबड़ा.** अवैध हथकड़ शराब और पकड़े गए आरोपी। पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**छबड़ा.** अवैध हथकढ़ शराब की रोकथाम को लेकर चलाये जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने आनंद विहार से 7 लीटर से अधिक हथकड़ शराब जब्त की है। वहीं, उदपुरिया गांव में दबिश देकर 65 लीटर हथकड़ शराब जब्त कर लगभग 1100 लीटर वाश नष्ट की है तथा 2 भट्टियों के सामान जब्त किए गए।

प्रहराधिकारी मदनलाल मीणा के अनुसार आबकारी निरोधक दल ने आनंद विहार में 7.25 लीटर हथकड़ शराब बरामद कर एक साधारण अभियोग के तहत दर्ज किया गया। इसके बाद प्रहराधिकारी बारां और छबड़ा की संयुक्त रेड में उदपुरिया गांव में 65 लीटर हथकड़ शराब बरामद कर एक अभियोग दर्ज किया गया। यहां लगभग 1100 लीटर वाश नष्ट की गई और दो भट्टी के सामान जब्त किए गए। टीम में प्रमोद सिंह प्रहराधिकारी बारां मय जाप्ता एवं छबड़ा का जाप्ता शामिल रहा। बुधवार को अंता विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के तहत बापचा थानाधिकारी बुद्धराम के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के गांव बटावदापरा कंजर कॉलोनी में कार्यवाही करते हुए कंजर बस्ती के पीछे बनी अवैध कच्ची शराब की भट्टीयों को नष्ट कर करीब 100 लीटर से अधिक अवैध कच्ची शराब के वॉश व शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया।

पत्रिका

# आपके मतदान से लोकतंत्र होगा सशक्त

बारां. आपके मतदान से लोकतंत्र होगा सशक्त। पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**बारां**. जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में विधानसभा उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से जागरुकता आयोजन किए जा रहे हैं। गुरुवार को विश्व बचत दिवस के अवसर पर मांगरोल स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने बैंक कर्मियों एवं उपस्थित जन को धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने का संकल्प कराया। इस दौरान स्वीप सहप्रभारी अमित भार्गव ने निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशंस से परिचित करवाकर उन्हें डाउनलोड करवाया तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से पंजीयन करने के साथ अपने ईपिक में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई। साथ ही सी-विजिल ऐप द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने पर 100 मिनट में समाधान पाने की प्रक्रिया समझाई, वहीं केवाईसी ऐप द्वारा अपने क्षेत्र से चुनाव में उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में बताया। दिव्यांगजन को सक्षम ऐप के माध्यम से मतदान दिवस पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। साथ ही 85 प्लस के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम वोटिंग की सुविधा से अवगत कराया तथा अपने परिचित जन को भी इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में बताने एवं मतदान करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सेवा प्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा, फील्ड अधिकारी दिलखुश मीणा, पीओ राहुल छितरोलिया, वरिष्ठ सहायक विनोद मीणा, सहायक वंशिका मीणा, रामप्रसाद मीणा, संजय कुमार स्वीप सदस्य रामचरण मीणा, बैंक ऑफिशियल्स एवं ग्राहक मौजूद रहे।

# देखे संवेदनशील बूथ, फ्लैग मार्च का निरीक्षण किया

बारां. पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप ने देखें संवेदनशील बूथ।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**बारां**. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव में निगरानी के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने गुरुवार को अंता क्षेत्र के सोरसन, मानपुरा नियाना, चहेडिया व मिर्जापुर स्थित संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। पुलिस पर्यवेक्षक ने खजूरनाकलां में आमजन के बीच भयमुक्त मतदान का वातावरण तैयार करने के लिए निकाले गए बीएसएफ के फ्लैग मार्च का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा व लाइजनिंग अधिकारी साथ रहे।

31/10/2025 | Baran | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

# उपचुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ प्रशासन सख्त

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**बारां.** अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 के तहत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार व जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में मीडिया प्रकोष्ठ एवं मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है। एमसीएमसी के प्रभारी सहायक निदेशक जनसंपर्क योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स एवं अन्य माध्यमों द्वारा नियमों के विरूद्ध पोस्ट की जा रही थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार यूट्यूबर्स एवं संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस देकर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पेड न्यूज के प्रकरण भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित और बाहर से आने वाले यूट्यूबर्स से समझाइश भी की जा रही है कि वे आदर्श आचार संहिता एवं एमसीएमसी के नियमों के अनुसार ही सोशल मीडिया पर संतुलित विषयवस्तु के साथ ही पोस्ट करें। इसके साथ ही एआई आधारित पोस्ट में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अथवा डिजिटल रूप से संवर्धित होने का स्पष्ट प्रकटीकरण भी करें।

**बारां.** सोशल मीडिया पर पर नजर रखते कर्मचारी व अधिकारी। पत्रिका

31/10/2025 | Baran | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

# स्वीप अभियान का सतरंगी सप्ताह 2 नवंबर से

**बारां @ पत्रिका.** अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव 2025 में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने व विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, सहरिया जनजाति, घुमंतू जाति वर्ग, महिला एवं युवा मतदाताओं एवं अन्य मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता कार्यक्रम (स्वीप) के तहत 2 से 8 नवंबर तक मतदाता जागरूकता सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्वीप प्रभारी राजवीर सिंह चौधरी ने बताया कि स्वीप अभियान के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले सतरंगी सप्ताह के दौरान 2 नवंबर को जनजाति, ट्रांसजेंडर एवं घुमन्तु जाति वर्ग को जागरूक करने के लिए लोक नृत्य कार्यक्रम में हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे स्लोगन, 3 नवंबर को श्रमिक व मजदूर वर्ग के लिए म्यूजिकल बैंड वादन एवं अंगुली से निशान राष्ट्र के नाम स्लोगन पर आयोजित किया जाएगा।

31/10/2025 | Baran | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

# मॉक पोल कराने में सतर्कता बरती जाए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**बारां.** अंता विधानसभा के उपचुनाव के लिए कोटा रोड पर बटावदी स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में चल रहे मतदान दल कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण में गुरुवार को तृतीय दिवस महिला पीठासीन अधिकारियों सहित प्रथम, द्वितीय व तृतीय महिला मतदान अधिकारी व दिव्यांगजन मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को उनके कार्य व दायित्व के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही मतदान प्रक्रिया, ईसीआई नेट, मॉक पोल, सीआरसी, मतदाता रजिस्टर, प्रपत्र संधारण, अमिट स्याही, सहित सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम सत्र में सैद्धांतिक व द्वितीय सत्र में प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। प्रायोगिक प्रशिक्षण में ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की कार्य प्रणाली, उन्हें कनेक्ट करना तथा मॉक पोल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही वीडियोग्राफर सुपरवाईजर तथा माइक्रोऑब्जर्वर को भी प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य व दायित्व के बारे में भी बताया गया। सभी मतदान अधिकारियों ने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को सराहा। एसई वाटरशेड मनोज पूरब गोला व अरुण तिवारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था की गई। वहीं सुनील कुमार शर्मा व धर्मेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों की टीम ने प्रशिक्षण दिया।

**बारां.** मतदान के लिए प्रशिक्षण लेते हुए सदस्य। पत्रिका

पत्रिका

विकास कार्य नहीं होने से रोष

ग्रामीण कलक्टर को गांव में बुलाने पर अड़े, उन्हीं से लेंगे समस्याओं के समाधान का आश्वासन

# अब पाडलिया गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**बोहत.** अंता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव ग्राम पंचायत हिगोनिया के पाड़लिया गांव के लोगों ने उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीण धीरज सिंह नरूका, सत्यनारायण गुर्जर, विजय सिंह, रामकिशन गुर्जर, बालमुकुंद राठी सहित कई का कहना है कि गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। खेतों की ओर जाने वाला रास्ता अब तक कच्चा है। किसानों को खरीफ की फसल बुवाई को लेकर बारिश के पानी से कीचड़ की वजह से कृषि उपकरण ले जाने में परेशानी होती है। किसान पैदल भी बड़ी मुश्किल से खेतों तक पहुंच पाते हैं। श्मशान घाट का रास्ता भी आज तक पक्का नहीं बन पाया है। दाहसंस्कार के लिए शव ले जाने में काफी असुविधा होती है। मृतक के शव को खेतों की मेड़ पर से होकर खेतों में फसल काटकर अंतिम संस्कार करने को ले जाना पड़ता है। गांव का आज तक पंचायत मुख्यालय से पक्की सड़क से जुड़ नहीं सका। सामुदायिक भवन का अभाव है। वहीं विद्यालय के सामने पानी का गड्ढा है। इसमें बरसाती पानी के भराव रहता है। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय किया है।

**बोहत.** मतदान बहिष्कार करने की सूचना का ज्ञापन देते ग्रामीण। पत्रिका

## उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन

पाडलिया के दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने मांगरोल उपखंड अधिकारी को विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार करने की सूचना को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने आए ग्रामीण धीरज सिंह नरूका, चन्द्रसिंह नरूका, जुगराज सिंह, सत्यनारायण गुर्जर, हेमराज गुर्जर, गौरी शंकर गुर्जर, दुर्गेश शर्मा, मोहन लाल शर्मा दिनेश गालव, जगदीश योगी ने बताया कि गांव में मूलभूत कई समस्या के समाधान की मांग की गई। उपखंड अधिकारी सौरभ भाम्ब्रू, तहसीलदार बृजेश मीणा ने बताया कि ग्रामीणों के ज्ञापन में दर्शाई गई अधिकांश समस्या का समाधान आचार संहिता समाप्त होने के बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से मतदान का बहिष्कार न करके अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया। लोगों ने इस पर कलक्टर को गांव में बुलाकर आश्वासन देने के बाद ही वोट डालने की बात कही।

पत्रिका

# पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

**बोहत.** गांवों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पत्रिका

**बोहत @ पत्रिका.** अंता विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस ने गुरूवार को ग्राम पंचायत भटवाडा, ईश्वरपुरा के गाँव जेतलहेडी, झाडवा, सिंगोला गुदरावनी, मुंडिया गांव में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को निर्भय व भय मुक्त होकर मतदान का संदेश दिया। पुलिस फ्लैग मार्च में बीएसएफ व पुलिस जवानों एवं अधिकारियों ने गांव की आबादी के मध्य मुख्य रास्ते में फ्लैग मार्च शुरू किया जो गांव रास्तों से होते हुए गुजरा। पुलिस फ्लैग मार्च में मांगरोल थाने के एएसआई घनश्याम मीणा पंचायत क्षेत्र के पुलिस बीट प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे।

31/10/2025 | Baran | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/

# सोशल मीडिया पर नियमों का उल्लंघन करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त

**बारां, 30 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।** अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 के तहत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार व जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में मीडिया प्रकोष्ठ एवं मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है। एमसीएमसी के प्रभारी सहायक निदेशक जनसंपर्क योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स एवं अन्य माध्यमों द्वारा नियमों के विरूद्ध पोस्ट की जा रही थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार यूट्यूबर्स एवं संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस देकर कार्रवाही की जा रही है। साथ ही पेड न्यूज के प्रकरण भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित और बाहर से आने वाले यूट्यूबर्स से समझाईश भी की जा रही है कि वे आदर्श आचार संहिता एवं एमसीएमसी के नियमों के अनुसार ही सोशल मीडिया पर संतुलित विषयवस्तु के साथ ही पोस्ट करें। इसके साथ ही ए.आई आधारित पोस्ट में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अथवा डिजिटल रूप से संवर्धित होने का स्पष्ट प्रकटीकरण भी करें।

## पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप ने देखें संवेदनशील बूथ

**बारां, 30 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।** भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव में निगरानी के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने गुरुवार को अंता क्षेत्र के सोरसन, मानपुरा नियाना, चहेड़िया व मिर्ज़ापुर स्थित संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। पुलिस पर्यवेक्षक ने खजूरनाकलां में आमजन के बीच भयमुक्त मतदान का वातावरण तैयार करने के लिए निकाले गए बीएसएफ के फ्लैग मार्च का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा व लाइजनिंग अधिकारी साथ रहे।

# जिला निर्वाचन अधिकारी ने की उप चुनाव के कार्यों में प्रगति की समीक्षा

**बारां, 30 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।** अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव 2025 के तहत चुनाव संबंधी कार्यों की समयबद्ध सम्पादन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने गठित सभी चुनाव प्रकोष्ठों के निर्धारित कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी प्रभारी अधिकारी उन्हें सौंपे गए कार्य दायित्वों को पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया व सुगम मतदान सम्पन्न कराने के लिए प्रबंध किए जाएं।

उन्होंने मतदान समाप्ति के पश्चात ड्यूटी से मुक्त हुए महिला कार्मिकों को घर तक पहुंचने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जिला निर्वाचन आईटी प्रकोष्ठ को निर्देशित किया कि सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही एप पर मिलने वाली शिकायतों के संबंध में नियमित मॉनिटरिंग की जाए। वेबकास्टिंग प्रकोष्ठ को जिले के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी करने के संबंध में निर्देश दिए। कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ को धारा 163, सभाओं तथा रैलियों, सुविधा एप व अन्य आवश्यक कानून व्यवस्थाओं के संबंध में तथा जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों की व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। मीडिया प्रकोष्ठ को विभिन्न चैनलों की खबरों पर निगरानी, पेड न्यूज, फेक न्यूज, एआई जनरेटेड सामग्री, राजनीतिक विज्ञापन एवं चुनाव प्रचार संबंधी विभिन्न गतिविधियों के संबंध में निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में गश्तीदलों को पूर्ण सक्रिय रहकर संदिग्ध वाहनों व स्थानों पर सघन चैकिंग कर अवैध सामग्री व धन राशि की धरपकड़ करने के कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों से समयबद्ध प्रकोष्ठों के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने होम वोटिंग एवं पोस्टल बैलेट संबंधित तैयारियां करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, ईवीएम प्रकोष्ठ प्रभारी एवं एडीएम जब्बर सिंह, मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी योगेंद्र शर्मा, रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

## अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव

# एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो पर आयोग की कड़ी निगरानी

बारां, 30 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए। आयोग के निर्देशों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए।

तोमर ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पस्ट रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित के रूप में चिह्नित किया जाए। उन्होंने बताया कि ये प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर भी लागू होंगे। तोमर ने कहा कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

# घर-घर जाकर सर्वे करेंगे बीएलओ

## • जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को करवाया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत

**श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)।** मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://voters.eci.gov.in पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान http://election.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिले में अब तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए की मदद ली जाएगी तथा अन्य कार्मिक व एनसीसी एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। ईएफ भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुमार्ने या कारावास से दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। दस्तावेजों में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाने होंगे। आधार भी पहचान के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

कलेक्टरेट सभागार में हुई प्रेस वार्ता में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने दी विस्तृत जानकारी, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे बीएलओ

# श्रीगंगानगर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू, फरवरी में प्रकाशन

सीमा सन्देश # श्रीगंगानगर

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिले में अब तक 72 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए की मदद ली जाएगी तथा अन्य कार्मिक व एनसीसी एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे।

## सूची में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म-6 भरवाना होगा

उन्होंने कहा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। ईएफ भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। दस्तावेजों में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाने होंगे। आधार भी पहचान के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन व उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार, एडीएम सर्तकता श्रीमती रीना भी उपस्थित थी।

वर्ष 2002 में सम्पन्न हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम उपरांत तैयार मतदाता सूची 2002 में यदि किसी मतदाता स्वयं का, उसके माता/पिता/अभिभावक का नाम दर्ज है

# तो ऐसे मतदाताओं को इस पुनरीक्षण के दौरान कोई किसी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं

**ढोलामारू न्यूज**

नागौर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभ हुए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के दौरान दिनांक 04 नवम्बर से 04 दिसंबर की अवधि में बूथवार नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने बूथ क्षेत्र में घर-घर परिगणना प्रपत्र (ईनूमरेशन फार्म) वितरित कर मतदाताओं से परिगणना परिपत्र भरवाकर वापस संग्रहित किए जाऐगें, इस दौरान बीएलओ द्वारा परिगणना प्रपत्र के अलावा किसी भी मतदाता से कोई किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जायेगा। साथ ही परिगणना प्रपत्र ऑनलाईन भरे जाने की सुविधा भी मतदाताओं के लिये दिनांक 04 नवम्बर 2025 से ईसीआई के पॉर्टल ओर ईसीआई मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगी।

**विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा**

# 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

जयपुर(नि.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

**बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण**

महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए।

**मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026**

# जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

■ आस-पास ब्यूरो

**डीडवाना।** (लोकेश अग्रवाल) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई बैठक में डॉ खड़गावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। वह व्यक्ति किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत राज्य में अब तक लगभग 70.55 प्रतिशत की भौतिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है।

बीएलओ ?प के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 80.24 प्रतिशत एवं 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 27.30 प्रतिशत निर्वाचकों की मैपिंग की गई है। जबकि ईसीआईनेट पर मतदाताओं की कुल मैपिंग 52.47 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसी अनुपात में जिले में भी कार्य हुआ है। बैठक में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे है। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में

दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसमें मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियाँ देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध कराए गए है। यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते है।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। गणना पूर्ण होने के पश्चात विगत एसआईआर से मिलान या लिंकिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाकर पात्रता की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) के पास अपील कर सकते हैं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका है। सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करना चाहिए। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बीएलए मतदाताओं तक विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी पहुँचाने, जन जागरूकता करने एवं मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीएलए प्रतिदिन 50 परिगणना प्रपत्र प्रमाणित कर बीएलओ को जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत एवं डुप्लिकेट नामों की सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान एवं लिंक से वंचित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्वाचक के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम एसआईआर से पहले उनके पूर्व निवास का पता लगाने के लिए सुनवाई होगी। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त कर उन पर निर्णय लिया जाएगा। कोई भी मतदाता अथवा बीएलए दावा एवं आपत्ति दर्ज कर सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। डॉ.खड़गावत ने बताया कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग, बीमार एवं वंचित वर्गों की सहायता के लिए वॉलन्टियर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। ये मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करेंगे।

इस दौरान बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.खड़गावत ने कहा कि यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे गणना प्रपत्र अवश्य भरें और मतदाता सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें ताकि भविष्य के चुनाव में उनका मताधिकार सुरक्षित रहे। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी, भाजपा डीडवाना विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा, जिला कांग्रेस के महासचिव बिरदाराम नायक, कांग्रेस अध्यक्ष मकराना दिलीप सिंह चौहान, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल, डीडवाना कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गणेश चौधरी, सीपीआईएम के जिला सचिव मोतीलाल शर्मा, खेजड़ी संस्थान के सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं यूथ कांग्रेस डीडवाना के लोकेश चोयल उपस्थित रहे।

दैनिक नवज्योति Nagaur - 31 Oct 2025 - Page 13

# एसआइआर को लेकर बैठक में गहन मंथन

## राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डीडवाना

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है, इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

बैठक में डॉ खड़गावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत राज्य में अब तक लगभग 70.55 प्रतिशत की भौतिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। बीएलओ ?प के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 80.24 प्रतिशत एवं 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 27.30 प्रतिशत निर्वाचकों की मैपिंग की गई है। जबकि ईसीआईनेट पर मतदाताओं की कुल मैपिंग 52.47 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसी अनुपात में जिले में भी कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे है। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसमें मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मोहन लाल खटनावलिया, जितेंद्र सिंह जोधा, जिला कांग्रेस के महासचिव बिरदाराम नायक, कांग्रेस अध्यक्ष मकराना दिलीप सिंह चौहान, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल, डीडवाना कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गणेश चौधरी, सीपीआईएम के जिला सचिव मोती लाल शर्मा, खेजड़ी संस्थान के सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं यूथ कांग्रेस डीडवाना के श्री लोकेश चोयल उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर डीडवाना कुचामन भास्कर 31-10-2025

# 40 वर्ष से अधिक आयु के 80.24 प्रतिशत निर्वाचकों की मैपिंग की

भास्कर न्यूज़ | डीडवाना

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ महेंद्र खडगावत की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। वह व्यक्ति किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत राज्य में अब तक लगभग 70.55 प्रतिशत की भौतिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। बीएलओ ऐप के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 80.24 प्रतिशत एवं 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 27.30 प्रतिशत निर्वाचकों की मैपिंग की गई है। जबकि ईसीआईनेट पर मतदाताओं की कुल मैपिंग 52.47 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसी अनुपात में जिले में भी कार्य हुआ है। बैठक में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे।

पत्रिका

। इमाना, सुजानगढ़, डीडवाना और यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

## जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

# एसआईआर: मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बैठक आयोजित, विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

डीडवाना. बैठक में मौजूद जिला कलक्टर सहित अन्य।

**डीडवाना।** जिले में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और शुद्ध बनाने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण के शुभारंभ के मद्देनजर आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना था, ताकि कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर किया जा सके। डॉ. महेंद्र खड़गावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करना है। इस प्रक्रिया में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। अब तक राज्य में लगभग 70.55 प्रतिशत भौतिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है, जबकि जिले में भी यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

### परिगणना प्रपत्र की प्रक्रिया

सभी मतदाताओं के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें उनका नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र पूर्व में मुद्रित होगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को यह प्रपत्र वितरित करेंगे और मतदाता को अपनी नवीनतम फोटो चिपकानी होगी। इसके अलावा, बीएलओ हर मतदाता के घर तीन बार जाकर उन्हें इस प्रक्रिया में सहायता देंगे।

### दस्तावेजों की जरूरत नहीं

**इस** पुनरीक्षण के दौरान कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल परिगणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। अगर कोई मतदाता सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है।

### 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट सूची

**डॉ. खड़गावत** ने बताया कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसमें शामिल नहीं किए गए नामों की सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वर्ष 2026 में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।

### इनका कहना है

जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे, जो विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग और वंचित वर्ग के मतदाताओं की मदद करेंगे। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि राजनीतिक दलों का इस पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्हें अपने बूथ लेवल एजेंटों को शीघ्र नियुक्त करने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी।

**डॉ. महेंद्र खड़गावत,**
जिला कलक्टर

31/10/2025 | Kuchaman | Page : 14
Source : https://epaper.patrika.com/

जोधपुर Suncity
जोधपुर, शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025

# विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी

जोधपुर, 30 अक्टूबर (कासं)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, थानाराम विश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित रहे।

इसी प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, , अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम,अख्तर खान, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचनअधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर,2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं।

श्री अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

# हुक्मनामा समाचार

hukmnama.jodhpur@gmail.com


# मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया की दी तकनीकी जानकारी

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

**हुक्मनामा समाचार**

**जोधपुर।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई।

**पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार**

: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर 2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं।

**सात फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया**

: बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सात फरवरी तक चलेगी। इस बीच तीन नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 6 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 6 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 6 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

**पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन**

: बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, थानाराम विश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम एवं अख्तार खान उपस्थित रहे।

# मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया की दी तकनीकी जानकारी

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

**विश्वास एक्सप्रेस**

जोधपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई।

### पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर 2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित

किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं।

### सात फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया

बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सात फरवरी तक चलेगी। इस बीच तीन नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 6 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 6 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 6 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

### पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, थानाराम विश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम एवं अख्तर खान उपस्थित रहे।

# एसआईआर की सार्थक पहल का विरोध नहीं, स्वागत हो

**मतदाता सूची की सटीकता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लोकतंत्र की रीढ़ है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में मतदाता सूची की सटीकता सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिये एक निश्चित अन्तराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया होते रहना अपेक्षित है।**

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष ग्रहण पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत करने की घोषणा करके चुनाव विसंगतियों एवं कमियों को दूर करने का सराहनीय एवं साहसिक कार्य किया है। यह पहल न केवल तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया भर है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की एक निर्णायक कोशिश है। लोकतंत्र की आत्मा उसके निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता में बसती है और चुनाव आयोग का यह कदम उसी दिशा में एक ठोस, सकारात्मक और आवश्यक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया से सबक लेते हुए इस बार आयोग ने प्रक्रिया के लिए अधिक समय दिया है, ताकि बिहार जैसी जल्दबाजी और अफरातफरी से बचा जा सके। आधार कार्ड को एक सहायक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल बनेगी।

निश्चित ही इस बार 12 राज्य संख्या में ज्यादा हैं तो चुनौती भी उसी हिसाब से ज्यादा बड़ी है। उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया में आई दिक्कतें अब आयोग के लिए अनुभव का काम करेंगी और वहां जैसी परेशानी बाकी जगहों पर लोगों को नहीं उठानी पड़ेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के शिड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और कोई भी अयोग्य मतदाता लिस्ट में शामिल न हो। जिन राज्यों को दूसरे चरण में चुना गया है, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं, इनमें से केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में भी अगले ही साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसे दूसरे चरण से बाहर रखा गया। आयोग ने इस बार आधार कार्ड को लेकर रुख पहले ही साफ कर दिया है कि यह जन्म, नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा, लेकिन एसआईआर में इसे एक डॉक्युमेंट के रूप में पेश किया जा सकेगा। यह स्पष्टता इसलिए जरूरी थी, क्योंकि बिहार में पहले चरण के दौरान आधार कार्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। दस्तावेज ऐसे होने चाहिए, जो अधिकतम आबादी की पहुंच में हों और आधार आज पहचान का सबसे सरल जरिया है।

मतदाता सूची की सटीकता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लोकतंत्र की रीढ़ है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में मतदाता सूची की सटीकता सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिये एक निश्चित अन्तराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया होते रहना अपेक्षित है। इसके पहले एसआईआर करीब दो दशक पहले किया गया था। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एसआईआर में इतना अंतराल न आने पाए, क्योंकि अब लाखों लोग नौकरी-पेशे के चलते अन्यत्र चले जाते हैं। इनमें से अधिकांश वहीं बस जाते हैं। कई बार देखा गया है कि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहते हैं, वहीं नये पात्र नागरिकों के नाम दर्ज नहीं हो पाते। ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक, इस विसंगति के चलते मतदान प्रतिशत प्रभावित होता है और चुनावी परिणामों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है। एसआईआर का मकसद किसी की नागरिकता तय करना या ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना नहीं है। इसे इतना सरल होना चाहिए, जिससे लोग वोटर बनने के लिए प्रेरित हों और उनमें लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए उत्साह जगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की यह पहल-इन खामियों को दूर करने की दिशा में एक संगठित और वैज्ञानिक लोकतांत्रिक प्रयास है। यदि यह कार्य धरातल पर ईमानदारी से लागू हुआ, तो यह मतदाता सूची की पवित्रता और लोकतंत्र की गरिमा दोनों को बढ़ाएगा।

भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिये यह बहुत जरूरी है, इसके लिये राजनीतिक दलों की भूमिका एवं सहयोग अपेक्षित है, वे इस प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टि से लें। इस सराहनीय एवं नितांत अपेक्षित उपक्रम के लिये विपक्षी दलों के द्वारा विरोध का वातावरण बनाना एवं आस्तीनें चढ़ाना उनकी विश्वसनीयता एवं जिम्मेदारी पर प्रश्न खड़ा करता है। अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव आयोग सुधारात्मक कदम उठाता है, तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने हितों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। परंतु लोकतंत्र का स्वास्थ्य तब ही सुदृढ़ होगा जब सभी दल 'पारदर्शिता' को 'राजनीतिक लाभ-हानि' से ऊपर रखेंगे। विपक्ष को चाहिए कि वह इस पहल का विरोध करने की बजाय स्वागत करे और इसे सही दिशा में लागू कराने में सहयोग दे, न कि शंका और अविश्वास के चश्मे से देखे। बहरहाल, राजनीतिक पार्टियों की यह महती जिम्मेदारी है कि वे सिर्फ दोषारोपण करने तक सीमित न रहें, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसी तरह, नागरिक संगठनों के लिए भी यह सक्रिय होने का समय है। उनकी निगरानी बीएलए के काम को अधिक सरल व सटीक बना सकती है। कुल मिलाकर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का सपना दिखाने वाले चुनाव आयोग के सामने अभी अपनी इस प्राथमिक जिम्मेदारी को ही निर्विवाद रूप से पूरा करने की चुनौती है।डिजिटल युग में चुनाव सुधार केवल मानव संसाधन या प्रशासनिक इच्छाशक्ति का नहीं, बल्कि तकनीकी पारदर्शिता का भी प्रश्न है। बायोमेट्रिक सत्यापन, ऑनलाइन नामांकन और डेटा क्रॉस-वेरिफिकेशन जैसे उपाय अब आवश्यक हो चुके हैं। विशेष ग्रहण पुनरीक्षण इस दिशा में आधारभूत कार्य करेगा यानी चुनावी डाटा की सफाई और पुनर्गठन। भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के रूप में जानी जाती है। लेकिन यह गौरव तभी सार्थक होगा जब मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की निष्पक्षता और आचार संहिता के पालन में कोई संदेह न रहे। चुनाव आयोग की यह पहल उसी लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है। लोकतंत्र केवल मतों की गिनती नहीं, बल्कि विश्वास की गिनती है और यह विश्वास चुनाव आयोग की ईमानदारी, पारदर्शिता और सक्रियता पर टिका है। जन-प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 21 चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उनको संशोधित करने का अधिकार देती है। मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता भी है। विडंबना यह है कि कुछ दलों को इस आवश्यकता की पूर्ति किया जाना रास नहीं आ रहा है। उन्होंने बिहार में एसआईआर को लेकर आसमान सिर पर उठाया और वोट चोरी के जुमले के सहारे सड़कों पर उतरने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मगर उनकी दाल न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गली और न ही बिहार की जनता के बीच तो इसीलिए कि वे कोरा दुष्प्रचार कर रहे थे।

ज्ञानेश कुमार की यह पहल केवल तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति में नवीनीकरण का संदेश है। चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनविश्वास की परीक्षा भी है। यदि यह अभियान ईमानदारी और जनसहभागिता के साथ पूरा होता है, तो यह भारत के लोकतंत्र को और परिपक्व बनाएगा। अब जिम्मेदारी केवल चुनाव आयोग की नहीं, बल्कि हर नागरिक और राजनीतिक दल की भी है कि वे इस सुधारात्मक पहल का स्वागत करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्कलंक बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। क्या यह विचित्र नहीं कि विपक्षी दल मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायत भी करते हैं और उनके पुनरीक्षण का विरोध भी? हालांकि उनके दुष्प्रचार की पोल खुल चुकी है, फिर भी चुनाव आयोग को इसके लिए तैयार रहना होगा कि विपक्ष शासित राज्य एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर सकते हैं। उसे इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि मतदाता सूचियों को ठीक करने की प्रक्रिया में किसी तरह की गलती न होने पाए, क्योंकि विपक्षी दल छोटी-छोटी बातों को तूल देकर इस संवैधानिक प्रक्रिया को श्रीहीन करने की चेष्टा कर सकते हैं।

सूर्यनगरी तहलका
सांध्य दैनिक
SNT
जोधपु

# सात फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक आयोजित

सूर्यनगरी तहलका रिपोर्टर

जोधपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर 2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सात फरवरी तक चलेगी। इस बीच तीन नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 6 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 6 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 6 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

**पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन**

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, थानाराम विश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम एवं अख्तर खान उपस्थित रहे।

सवेरा राजस्थान
दैनिक सांध्य समाचार पत्र

सिटी न्यूज

जोधपुर

# सात फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक आयोजित

■ सवेरा राजस्थान

जोधपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी

गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर 2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सात फरवरी तक चलेगी। इस बीच तीन नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 6 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 6 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 6 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

**पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन** : बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, थानाराम विश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम एवं अख्तर खान उपस्थित रहे।

# सात फरवरी तक चलेगी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक आयोजित

**जोधपुर एक्सप्रेस न्यूज़**

**जोधपुर।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने

की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सात फरवरी तक चलेगी। इस बीच तीन नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 6 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 6 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 6 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

**पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन:** बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, थानाराम विश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम एवं अख्तर खान उपस्थित रहे।

# मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया की दी तकनीकी जानकारी

परिक्रमा रिपोर्टर

जोधपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर मैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत करवाया गयकि निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर 2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है।

अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सात फरवरी तक चलेगी। इस बीच तीन नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 6 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 6 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 6 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोस्वा, थानाराम बिश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम एवं अख्तर खान उपस्थित रहे।

नेता बने अभिनेता
सांध्य दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

# विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई विस्तृत जानकारी

■ **नेता बने अभिनेता**

**जोधपुर**। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) जोधपुर श्री गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

**राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता**-बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, जिला महामंत्री (जोधपुर ग्रामीण), श्री थानाराम विश्नोई, जिला संयोजक (देहात) एवं चुनाव प्रभारी, श्री दिनेश देवड़ा एवं श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित रहे।

इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह परिहार, श्री सलीम खान, जिला अध्यक्ष (उत्तर), श्री अकमुद्दीन खान, जिला सचिव, श्री ओमकार वर्मा, संगठन मंत्री, श्री हेतसिंह गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष, घनमंदिर ब्लॉक, श्री नेमाराम, महासचिव (देहात) एवं श्री अख्तर खान, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे।

**मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर दी गई तकनीकी जानकारी**- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा voters.eci.gov.in पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों (EROs) एवं बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

**राजनैतिक दलों से बूथ स्तर पर सहयोग का अनुरोध**

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही प्रतिनिधियों द्वारा दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए तथा वर्तमान मतदाता सूची की हार्ड कॉपी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।

**1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार**

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर,2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं।

इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं।

**सभी प्रतिनिधियों ने व्यक्त की सहमति एवं पूर्ण सहयोग का आश्वासन**

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान श्री अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

e-mail : prasanntimes@gmail.com
भारत सरकार रजि.नं.56340/93
सांध्य दैनिक
सरकारी विज्ञापनों हेतु मान्यता प्राप्त

# प्रसन्न टाइम्स

व्यापार एवं उद्योग जगत का एकमात्र समाचार पत्र
वर्ष-33 अंक 150 जोधपुर गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 फोन : 2438829, मूल्य एक रूपया पृष्ठ आठ

# विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक आयोजित

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी विस्तृत जानकारी

जोधपुर, 30 अक्टूबर @ **प्रसन्न टाइम्स**. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

**राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता :** बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, जिला महामंत्री (जोधपुर ग्रामीण), थानाराम विश्नोई, जिला संयोजक (देहात) एवं चुनाव प्रभारी, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान मौजूद थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, जिला अध्यक्ष (उत्तर), अकमुद्दीन खान, जिला सचिव, ओमकार वर्मा, संगठन मंत्री, हेतसिंह गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष, घनमंदिर ब्लॉक, नेमाराम, महासचिव (देहात) एवं अख्तर खान, ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद थे।

**मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर दी गई तकनीकी जानकारी :** जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौजूद प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा voters.eci.gov.in पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों (EROs) एवं बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

**राजनैतिक दलों से बूथ स्तर पर सहयोग की अपील:** बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। मौजूद सभी प्रतिनिधियों ने इस आग्रह पर सहमति व्यक्त की। साथ ही प्रतिनिधियों द्वारा दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए तथा वर्तमान मतदाता सूची की हार्ड कॉपी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

**1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार :** जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत करवाया कि निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर,2025 के बाद 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं।

**सभी प्रतिनिधियों ने व्यक्त की सहमति एवं पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन :** बैठक में मौजूद सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया आगामी 7 फरवरी तक चलेगी। इस बीच 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर -घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन आगामी 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद आगामी 7 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

# 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

जयपुर(नि.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

**बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण**

महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए।

# मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

**कानून व्यवस्था**

**जयपुर,** भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा को राज्य में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता, पूर्णता एवं समयबद्ध अद्यतन सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक सम्पन्न होगा। इसके पश्चात घर-घर मतदाता गणना प्रपत्र वितरण एवं मतदाता केन्द्रों का पुनरीक्षण 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को होगा, तथा दावे एवं आपत्तियां 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेघराज मीणा ने बताया कि जयपुर जिले में कुल 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें जयपुर शहर, झोटवाड़ा, सिविल लाइंस, हवामहल, किशनपोल, दूदू, बगरू, बस्सी, विराटनगर और फुलेरा प्रमुख हैं। जिले में 17 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) एवं 83 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) कार्यरत हैं। कुल 5046 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 744 नये केन्द्रों का समावेश किया गया है। वर्तमान में जिले में 48 लाख 23 हजार 379 मतदाता पंजीकृत हैं – जिनमें 23 लाख 19 हजार 714 महिला मतदाता और 101 तृतीय लिंग के मतदाता सम्मिलित हैं।

# सात फरवरी तक चलेगी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया

जोधपुर, 30 अक्टूबर (पंजाब केसरी): विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सात फरवरी तक चलेगी। इस बीच तीन नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 6 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 6 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 6 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी तकनीकी जानकारी

## पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, थानाराम विश्नोई, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, अकमुद्दीन खान, ओमकार वर्मा, हेतसिंह गहलोत, नेमाराम एवं अख्तर खान उपस्थित रहे।

## विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

# मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई विस्तृत जानकारी

**( जनगण न्यूज )**

**जोधपुर।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) जोधपुर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

### राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता

बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, जिला महामंत्री (जोधपुर ग्रामीण), थानाराम विश्नोई, जिला संयोजक (देहात) एवं चुनाव प्रभारी, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, जिला अध्यक्ष (उत्तर), अकमुद्दीन खान, जिला सचिव, ओमकार वर्मा, संगठन मंत्री, हेतसिंह गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष, घनमंदिर ब्लॉक, नेमाराम, महासचिव (देहात) एवं अख्तर खान, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे।

### मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर दी गई तकनीकी जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा voters.eci.gov.in पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों (EROs) एवं बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

### राजनैतिक दलों से बूथ स्तर पर सहयोग का अनुरोध

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही प्रतिनिधियों द्वारा दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए तथा वर्तमान मतदाता सूची की हार्ड कॉपी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।

### 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर,2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं।

### सभी प्रतिनिधियों ने व्यक्त की सहमति एवं पूर्ण सहयोग का आश्वासन

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।

इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

# विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

## मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई विस्तृत जानकारी

**(खबर चक्र)**

**जोधपुर।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) जोधपुर श्री गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

**राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता**

बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, जिला महामंत्री (जोधपुर ग्रामीण), श्री थानाराम विश्नोई, जिला संयोजक (देहात) एवं चुनाव प्रभारी, श्री दिनेश देवड़ा एवं श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित रहे।

इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह परिहार, श्री सलीम खान, जिला अध्यक्ष (उत्तर), श्री अकमुद्दीन खान, जिला सचिव, श्री ओमकार वर्मा, संगठन मंत्री, श्री हेतसिंह गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष, घनमंदिर ब्लॉक, श्री नेमाराम, महासचिव (देहात) एवं श्री अख्तर खान, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे।

**मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर दी गई तकनीकी**

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा voters.eci.gov.in पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों (EROs) एवं बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

**राजनैतिक दलों से बूथ स्तर पर सहयोग का अनुरोध**

बैठक में जिला निर्वाचन राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही प्रतिनिधियों द्वारा दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए तथा वर्तमान मतदाता सूची की हार्ड कॉपी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।

**1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार**

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर,2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं।

इस क्रम में जोधपुर जिले में एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं।

**सभी प्रतिनिधियों ने व्यक्त की सहमति एवं पूर्ण सहयोग का आश्वासन**

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान श्री अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची

# विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

* मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई विस्तृत जानकारी

**जोधपुर.**

जोधपुर,। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) जोधपुर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा।

## राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता

बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, जिला महामंत्री (जोधपुर ग्रामीण), श्री थानाराम विश्नोई, जिला संयोजक (देहात) एवं चुनाव प्रभारी, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, जिला अध्यक्ष (उत्तर), अकमुद्दीन खान, जिला सचिव, ओमकार वर्मा, संगठन मंत्री, हेतसिंह गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष, घनमंदिर ब्लॉक, नेमाराम, महासचिव (देहात) एवं अख्तर खान, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे।

## मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर दी गई तकनीकी जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा voters. eci. gov.in पोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों (EROs) एवं बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

## राजनैतिक दलों से बूथ स्तर पर सहयोग का अनुरोध

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट्स विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें।
उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही प्रतिनिधियों द्वारा दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए तथा वर्तमान मतदाता सूची की हार्ड कॉपी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।

## 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार 24 सितंबर,2025 के पश्चात् 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जोधपुर जिले में कुल 18 मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं विभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनमें 5 नये मतदान केन्द्रों का सृजन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा तैयार कर निर्वाचन विभाग, जयपुर को प्रेषित किए जा रहे हैं।

## सभी प्रतिनिधियों ने व्यक्त की सहमति एवं पूर्ण सहयोग का आश्वासन

बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान श्री अग्रवाल ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 28 से 3 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

# विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी बैठक संपन्न

दैनिक महका संसार

**जोधपुर।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) जोधपुर श्री गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले शेष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थितिकरण के संबंध में विचार-विमर्श करना रहा। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉ. यशपाल गोधा, जिला महामंत्री (जोधपुर ग्रामीण), थानाराम विश्नोई, जिला संयोजक (देहात) एवं चुनाव प्रभारी, दिनेश देवड़ा एवं शैलेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से गजेन्द्र सिंह परिहार, सलीम खान, जिला अध्यक्ष (उत्तर), अकमुद्दीन खान, जिला सचिव, ओमकार वर्मा, संगठन मंत्री, हेतसिंह गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष, घनमंदिर ब्लॉक, नेमाराम, महासचिव (देहात) एवं अख्तर खान, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। मतदाता द्वारा भरे जाने वाले परिगणना प्रपत्रों के प्रारूप एवं प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथापोर्टल पर मतदाता नाम जांचने की ऑनलाईन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर अधिकारियों की भूमिकाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 की मतदाता सूची की तुलना वर्ष 2022 की मतदाता सूची से कर गैपिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

**जैसलमेर-पोकरण भास्कर** 31-10-2025

बैठक • जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

# राजनीतिक दल विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें: कलेक्टर

भास्कर न्यूज | जैसलमेर

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापसिंह ने बताया कि जिले में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी।

जैसलमेर. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते कलेक्टर।

उन्होंने बताया कि 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस फेज रहेगा। जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में अधिक से अधिक सहभागिता की बात कही। ताकि निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम इस प्रक्रिया में छूटे नहीं एवं अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़े नहीं। उन्होंने बताया कि बीएलओ के साथ राजनैतिक दलों के बीएलए प्रत्येक बूथ पर आम मतदाताओं को इस अभियान बारे में अधिकाधिक जागरूक करें।

तहसीलदार निर्वाचन सत्यप्रकाश खत्री ने बैठक के दौरान राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में उपखंड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मनोहरसिंह दामोदरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पदाधिकारी उम्मेदसिंह तंवर, गागन खां मेहर, महेंद्रराम वीरा व दुर्गेश आचार्य उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर

झुंझुनू भास्कर 31-10-2025

# शेखावाटी भास्कर

झुंझुनूं • नवलगढ़ • मुकुंदगढ़ • मंडावा • बिसाऊ • मलसीसर

झुंझुनूं, शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 | कार्तिक, शुक्ल पक्ष-9, 2082

### 23 साल बाद फिर एसआईआर, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र भरवाएंगे, 9 दिसंबर से कर सकेंगे आपत्ति

# हर वोटर को भरना होगा प्रपत्र, पहचान दस्तावेज 5.54 लाख को ही देने होंगे, क्योंकि इनके 2002 की सूची में नाम नहीं

भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं

जिले में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची को लेकर प्रारंभ किए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में हर वोटर को परिगणना फार्म भरकर देना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही 2002 की सूची में मौजूद मतदाताओं को पहचान का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इन्हें प्रपत्र भरना होगा।

जानकारी के अनुसार जिले के 70% मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। इस अभियान के साथ जिले में मतदान केंद्रों की संख्या भी 2 हजार तक बढ़ जाएगी। गुरुवार को कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर लागू होने के बाद जिले में बीडीओ स्तर पर मतदाताओं की मैपिंग का काम शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया मतदाताओं के पते और पात्रता को सत्यापित करने के लिए की जा रही है। इससे पहले 2002 में एसआईआर हुई थी। अब 22 साल बाद फिर सभी योग्य मतदाताओं की पहचान का सत्यापन होगा। इसके लिए एन्यूमरेशन फॉर्म (परिगणना प्रपत्र) प्रिंट कराए जा रहे हैं। इन फार्म को बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को देंगे और भरे हुए फार्म एकत्रित करेंगे।

## जिले में 18.48 लाख वोटर, इनमें से 70% यानी 12.93 लाख को पहचान दस्तावेज नहीं देने होंगे

एसआईआर शुरू होने के साथ ही जिले में मतदाता सूचियों को निर्वाचन विभाग ने फ्रीज कर दिया है। जिले में वर्तमान में 18.48 लाख मतदाता हैं। इनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे। इन मतदाताओं को एसआईआर में शामिल किया गया है। इनमें 70 फीसदी यानि 12.93 लाख मतदाताओं का 2002 की मतदाता सूची के आधार पर सत्यापन हो चुका है। इन मतदाताओं को सिर्फ ईएफ फार्म भरकर बीएलओ को देना होगा। सत्यापित नहीं होने वाले जिले में 5.54 लाख मतदाता हैं। इनको ईएफ फार्म भरकर देने के साथ ही पहचान के लिए दस्तावेज भी देने होंगे। जिले के विधानसभाओं में सर्वाधिक फ्रीज मतदाता सूरजगढ़ विधानसभा में है। यहां 289169 मतदाता फ्रीज हुए है। इसके बाद पिलानी में 252533, झुंझुनूं में 278875, मंडावा में 251401, नवलगढ़ में 286660, उदयपुरवाटी में 261732 और खेतड़ी में 227662 मतदाता फ्रीज हो चुके हैं। अब इनमें बदलाव नहीं हो सकेगा। 7 फरवरी को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होगा। असंतुष्ट मतदाता कलेक्टर या अंतिम अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास कर सकते हैं।

**जिले में बदलेगी मतदान केंद्रों की संख्या, 1741 की जगह होंगे 2018** : निर्वाचन विभाग ने हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। अभी जिले में 1741 मतदान केंद्र हैं। इनमें से 640 मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है। इसके बाद 277 नए मतदान केंद्र बढ़ जाएंगे। अब जिले में 2018 मतदान केंद्र हो जाएंगे। इसमें पिलानी में 236 की जगह 282, सूरजगढ़ में 290 की जगह

332, झुंझुनूं में 249 की जगह 295, मंडावा में 256 की बजाय 276, नवलगढ़ में 262 के स्थान पर 296, उदयपुरवाटी में 234 की जगह 283 ओर खेतड़ी में 214 की बजाय 254 मतदान केंद्र होंगे। इस प्रक्रिया के बीच कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जिनके जवाब का इंतजार है। उदाहरण के लिए जिले में बड़ी संख्या में परिवार दूसरे राज्यों में रहते हैं। उनके नाम यहां मतदाता सूची में हैं। ऑनलाइन फार्म भरने का विकल्प दिया है। जिले से बाहर स्थाई निवास करने वालों को अपने नाम उस राज्य या जिले में रखने चाहिए। घूमंतू लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर संशय बना हुआ है। स्थाई पता या मकान नहीं होने पर उनको जीरो एड्रेस के जरिए प्रशासन शामिल करने की बात कह रहा है।

### प्रत्येक वोटर को रंगीन फोटो देनी होगी

- हर मतदाता को एक प्रिंटेड एन्यूमरेशन फार्म घर पर दिया जाएगा। इसमें मतदाता का नाम, इपिक, पता, क्रमांक, भाग संख्या व नाम, राज्य पहले से प्रिंट होगा।
- इस फार्म पर एक विशेष क्यूआर कोड छपा हुआ होगा। जिसको स्कैन कर मतदाता अपना सत्यापन ऑनलाइन कर सकता है।
- हर फार्म में मतदाता की पुरानी फोटो लगी हुई होगी और बीएलओ को नई रंगीन फोटो देनी होगी।
- हर फार्म में जन्मतिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता-माता, पत्नी का नाम, माता, पिता व पत्नी का इपिक नंबर की जानकारी देनी होगी।
- इयू फार्म के दूसरे भाग में एसआईआर में नहीं होने पर मतदाता को अपने नाम, इपिक नंबर के साथ परिजन का नाम, रिश्ता, जिला, राज्य व एसी नंबर देना होगा।
- पहले फेज में 2002 की सूची से मिलान होगा। नाम नहीं होगा, उनसे ही तय 12 दस्तावेज मांगे जाएंगे।

### जन्म व मूल निवास जैसे दस्तावेज जरूरी

- केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कार्मिक का पहचान पत्र, पीपीओ का उपयोग कर सकते है।
- बैंकों/डाकघर/एलआईसी/ सार्वजनिक उपक्रम का पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज दे सकते हैं।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र. मूल निवास, वन अधिकार, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विवि के शैक्षिक प्रमाण पत्र हो।
- सरकार का भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र यानि पट्टा और आधार कार्ड दे सकते हैं।

**ये तारीख रहेगी अहम** ▪ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ हर घर में जाकर इयू फार्म का वितरण करेंगे। इसके बाद भरे हुए फार्म एकत्रित करेंगे। ▪ 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा और 8 जनवरी 2026 तक दावा व आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान सुनवाई व सत्यापन भी होगा।

### भास्कर नॉलेज

**माता-पिता या दादा-दादी का सूची में नाम है तो नहीं दें दस्तावेज**

मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ हर घर में जाएंगे। बीएलओ को हर घर में तीन बार जाना अनिवार्य है। बीएलओ हर घर में प्री-फील्ड गणना प्रपत्र यानि ईएफ वितरित कर घर में मौजूद व्यक्ति के हस्ताक्षर कराएगा। इसमें 2002 की मतदाता सूची में नाम ढूंढने में मदद करने के साथ ईएफ ऑनलाइन भरने की जानकारी देगा। 2002 की एसआईआर में नाम मिलान के साथ परिवार में माता-पिता या दादा-दादी का नाम होने पर उसे सत्यापित मतदाता माना जाएगा। ऐसे में उनको दूसरे दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। हर वोटर को अपना नया रंगीन फोटो देना होगा। इसके साथ दूसरे प्रदेश या विदेश में रहने वाले मतदाता का फार्म उसके परिवार के लोग भरकर दे सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, तो उनको अपने नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर बीएलओ को देना होगा। साल 2002 की मतदाता सूची में नाम है तो कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। यह कवायद डबल नाम वाले वोटर्स को हटाने की है।

दैनिक नवज्योति
Udaipur City - 31 Oct 2025 - Page 2

# उदयपुर में 12.95 लाख मतदाता नहीं जमा करवाएंगे दस्तावेज

## एसआईआर ..66 फीसदी के हो चुकी भौतिक मैपिंग

**ब्यूरो/ नवज्योति, उदयपुर ।** वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उदयपुर में कुल मतदाताओं में से 12.95 लाख मतदाताओं को दस्तावेज नहीं जमा कराने होंगे। इन मतदाताओं की भौतिक मैपिंग हो चुकी है। उदयपुर की संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि उदयपुर जिले में 27 अक्टूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार 19 लाख 62 हजार 340 मतदाता हैं। इनमें से 66.2 फीसदी मतदाताओं की यानि करीब 12.95 लाख की 2002 और 2025 की मतदाता सूचियों से मिलान के बाद भौतिक मैपिंग हो चुकी है।उन्होंने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में 66.2 फीसदी मतदाताओं को एसआईआर के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, अभी यह आंकड़ा और बढ़ेगा।

## 40 वर्ष से कम आयु के 33.83 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग

उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर, 2025 तक 40 वर्ष से अधिक आयु के 90.11 फीसदी मतदाताओं की बीएलओ एप मैपिंग हो चुकी है। वहीं 40 वर्ष से कम आयु के 33.83 प्रतिशत मदाताओं की मैपिंग हो चुकी है।एसआईआर के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र देंगे और ये गणना प्रपत्र वापस एकत्र भी करेंगे। भरे हुए गणना प्रपत्र के साथ भी कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाना होगा।

## बीएलओ के लिए एडवाइजरी जारी

निर्वाचन विभाग ने बीएलओ के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ अपना पहचान पत्र पहनकर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करते हुए रोजाना बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति को डायरी में लिखेंगे।

# मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

## राजस्थान में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया

**नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो**

खैरथल तिजारा/जयपुर। 30 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

श्री महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए।

**खबर विस्तार से पढ़ने के लिए वैबसाइट पर विजिट करें ।**

# मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

## 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

### बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए।

### बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी

एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र पहन कर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करें, प्रतिदिन बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करें। बीएलओ एप पर चाही गयी सूचनाओं को अपडेट करें। बूथ लेवल एजेंट के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करें।

### वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां https//voters.eci.gov.in/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जाए। राजस्थान में अब तक 70' मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जिसे निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिससे इन मतदाताओं से किसी भी तरह का दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

### अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किए गए

महाजन ने बताया कि अर्बन एपेथी से निपटने के लिए 7 जिलों के नगर-निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर शामिल है। जिससे सभी पात्र मतदाताओं की मैपिंग अथवा लिंकिंग में शहरी क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके तथा शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सरलता से गणना प्रपत्र भरवाया जा सके।

### राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाए। बीएलए (BLA) की नियुक्ति की स्थिति पर भी चर्चा की जाए। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाए, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। महाजन ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित मीडिया सेल सतर्क होकर कार्य करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाए। उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैपिंग अधिकतम की जाए जिससे ज्यादातर मतदाताओं को सहूलियत रहे साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को संवैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया।

# मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा

## 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया

किशनगढ़ टाइम्स

**खैरथल /जयपुर।** मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने भी संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनैतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने को लेकर जिलेवार विस्तृत चर्चा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

### बीएलओ, वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण

महाजन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, शीघ्र ही इनके लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप रिफ्रेशर सत्र आयोजित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन किया जाए जिसके आधार पर बीएलओ पर्यवेक्षक, ईआरओ, डीईओ एवं सीईओ स्तर पर उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाए।

### बीएलओ के लिए एडवायजरी जारी

एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पहचान पत्र पहन कर रखें। सभी प्रक्रियाओं का समय पर निस्तारण करें, प्रतिदिन बीएलओ अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करें। बीएलओ एप पर

चाही गयी सूचनाओं को अपडेट करें। बूथ लेवल एजेंट के साथ समन्वय रखते हुए कार्य करें।

### वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां द्धह्लह्लश्चह्य-//1शह्लद्गह्म्ह्य.द्गष्द्ब.द्दश1 .द्बठ्ठ/ पर अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जाए। राजस्थान में अब तक 70त्न मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है जिसे निकट भविष्य में 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। जिससे इन मतदाताओं से किसी भी तरह का दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

### अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियोजित किए गए

महाजन ने बताया कि अर्बन एपेथी से निपटने के लिए 7 जिलों के नगर-निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर शामिल है। जिससे सभी पात्र मतदाताओं की मैपिंग अथवा लिंकिंग में शहरी क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके तथा शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सरलता से गणना प्रपत्र भरवाया जा सके।

### राजनैतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता

महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाए। बीएलए (ब्लक) की नियुक्ति की स्थिति पर भी चर्चा की जाए। साथ ही अधिक से अधिक सहभागिता के लिए भी अनुरोध किया जाए, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। श्री महाजन ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित मीडिया सेल सतर्क होकर कार्य करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे। नियमित प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अपडेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। स्वयं सहायता समूहों व राजसखी को विशेष रूप से महिला मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु जोड़ा जाए। उप निर्वाचन आयुक्त भानू प्रकाश अटरू ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैपिंग अधिकतम की जाए जिससे ज्यादातर मतदाताओं को सहुलियत रहे साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को संवैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया।

**जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान** नाम नहीं होने पर 9 दिसम्बर से दावे और आपत्तियां दर्ज करें

# क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है?

## 4 नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर देगा गणना प्रपत्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पत्रिका स्पॉट लाइट

टोंक. क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है ? निर्वाचन विभाग ने इसके लिए मतदाता मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया है। इसका आधार एसआइआर एक जनवरी 2002 की मतदाता सूची रखा गया है। कुल मतदाताओं में से 70 प्रतिशत की मैपिंग हो चुकी है। शेष मतदाताओं की मैपिंग जल्द हो जाएगी। अब 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र देगा। जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची मे नहीं है, वे अपने वोट को सुरक्षित रखने के लिए 9 दिसम्बर से दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने पत्रकारों को दी। उनके साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक रामरतन सौकरिया और मालपुरा एडीएम विनोद कुमार मीणा भी थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

टोंक. कलक्ट्रेट में जानकारी देती जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल।

## लिस्ट में नाम नहीं होने पर यह लगेंगे दस्तावेज

- केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र व पेंशन भुगतान आदेश।
- एक जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र की ओर से पहचान पत्र, प्रमाणपत्र, दस्तावेज ।
- सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों के मैट्रिकुलेशन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या सक्षम प्राधिकारी की ओर ये जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य, स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार की ओर से कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

### जिले में मतदाताओं की स्थिति

| विधानसभा | पुरुष | महिला | थर्ड जेंडर | कुल |
|---|---|---|---|---|
| मालपुरा | 142605 | 138129 | 01 | 280735 |
| निवाई | 150974 | 143333 | 00 | 294307 |
| टोंक | 135401 | 131172 | 04 | 266577 |
| देवली-उनियारा | 159027 | 150298 | 01 | 309326 |
| कुल | 588007 | 562932 | 06 | 1150945 |

### ऐसे चलेगा अभियान

- 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2023 तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणपा प्रपत्र देंगे
- 9 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
- 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय
- 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

### फैक्ट फाइल

जिले में कुल मतदान केन्द्र- 1106
1200 अधिक मतदाताओं वाले पुनर्गठन के बाद मतदान केन्द्र- 109
नवसृजित मतदान केन्द्र- 204
वर्तमान प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक- 1042
पुनर्गठन के बाद प्रत्येक बूथ पर औसत निर्वाचक- 879
वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी- 1105
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी- 04
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी- 14

## बीएलओ सुपरवाइजर का प्रशिक्षण आज

**मालपुरा.** मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ सुपरवाइजर का प्रशिक्षण शुक्रवार को दो पारियों में आयोजित किया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कपिल शर्मा ने बताया कि राउमावि मालपुरा के कमरा नंबर 39 और 40, टोडारायसिंह में राउमावि में 2 पारियों में प्रशिक्षण आयोजित कर सभी बीएलओ सुपरवाइजर को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित करेंगे।

**विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम**

# टोंक में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू, 7 फरवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

## मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक एवं त्रुटि मुक्त बनाना ही निर्वाचन आयोग का मकसदः कल्पना अग्रवाल

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) टोंक कल्पना अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से राजस्थान में भी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है, निर्वाचन आयोग का यह अभियान इस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है कि मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक एंव त्रुटि मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने गुरुवार को जिला कलक्टर सभागार में पत्रकार वार्ता में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और जो पात्र नहीं हैं, उनको नियमानुसार हटाया जाना है।

### निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार चलेगा अभियान

जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने बताया कि टोंक जिले में यह कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार चलाया जाएगा। जिसके तहत 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवम्बर 2025तक प्रशिक्षण व तैयारी, 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर गणना की जाएगी।

उन्होंने बताया कि यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत किय जा रहा है।

### 9 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026तक दावे आपत्ति प्राप्त किए जा सकेंगे, 9 दिसम्बर 25 से 31 जनवरी 26 तक नोटिस अवधि सुनवाई का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही 7 फरवरी 2026को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि टोंक जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11लाख 50हजार 945 मतदाता है। उन्होंने बताया कि कुल 11 लाख 50हजार 945मतदाताओं में से 8 लाख 5 हजार यानि 70प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। मैपिंग का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गहन पुनरीक्षण में मतदाता मैपिंग गतिविधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैपिंग का कार्य बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र भरवाएंगे।

### राजनेतिक दलो व मीडिया का सह्योग जरूरी

मीडिया के माध्यमों से जिले के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करें। बूथ लेवल एजेंट और बीएलओ के बीच समन्वय से मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

# वोटर लिस्ट अपडेट 4 से, शुरुआत में किसी को भी नहीं देने होंगे दस्तावेज, निर्वाचन विभाग ने 70 फीसदी मेपिंग की पूरी

भास्कर संवाददाता | टोंक

वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार के बाद अब आसान किया गया है। राज्य में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 नवंबर से घर-घर बीएलओ आएंगे तथा फार्म देंगे। जिसे भरकर देना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिले के 70 प्रतिशत मतदाताओं की किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। उनकी मेपिंग हो चुकी है। बाकी के लिए आगे प्रक्रिया चलेगी। बीएलओ घर-घर जाकर फार्म देंगे। उसको भरना है। कोई दस्तावेज शुरू में नहीं देना है।

कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 2002 में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा चुका है। उसके बाद अब हो रहा है। जिनके 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनको किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं देने हैं। उनकी मैपिंग हो चुकी है। जो नए हैं, जिनका उस सूची में नाम नहीं है, उनको ये बताना है कि 2002 की मतदाता सूची में उनके माता-पिता, दादा-दादी का नाम कहां है। ये कार्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट किए जाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कोई वंचित नहीं रहे तथा अपात्र शामिल नहीं हो। इस में मुख्य रुप से ये स्पष्ट करना है कि 2002 की सूची में उनका, उनके माता-पिता, दादा-दादी का नाम कहा है। उसके आधार पर उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकेगा। शुरुआत में किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि जिले में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाता है। इसमें से 8 लाख 50 हजार की मैपिंग हो चुकी है। उनको कोई दस्तावेज नहीं देने हैं। जिन वर्तमान मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी व अन्य संबंधियों के नाम एसआईआर 2002 की मतदाता सूची में है, उनकी मैपिंग का कार्य बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर फार्म भरवाएंगे। इसमें राजनीतिक दलों को भी बीएलए नियुक्त करने की बात कहीं है।

## दो महीने से नियुक्त नहीं है स्थायी पुलिस उपाधीक्षक

उनियारा | राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की जा रही है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों के तबादले नहीं किए जाने के कारण उनियारा डीएसपी का पद स्थाई रूप से दो महीने से रिक्त चल रहा है। टोंक में साइबर सेल के डीएसपी देवेन्द्र सिंह को उनियारा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ताकि यहां की कानून व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलती रहें। एक वर्ष पूर्व उनियारा में रघुवीर सिंह भाटी को डीएसपी पद पर नियुक्त किया था, 31 अगस्त को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली है। डीएसपी सर्किल में उनियारा, अलीगढ़, नगरफोर्ट, बनेठा, सोप पुलिस थाने और ककोड़, आमली, पचाला पुलिस चौकी शामिल हैं। क्षेत्रीय लोगों ने विधायक राजेंद्र गुर्जर से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द स्थाई डीएसपी को उस पद पर तैनात किया जाए ताकि कानून व्यवस्था में सुधार हो सके।

## मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण

# जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

बनास वरदान

**टोंक, (का.स.)।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियाँ देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट ेजजचेरूध्ध्अवजमतेण्मबपण्हव अण्पद पर उपलब्ध कराए गए है। यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते है।उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम रतन सौंकरिया, डीईओ सुशील कुमार अग्रवाल, आईएनसी के हरिप्रसाद बैरवा, सीपी श्रीवास्तव, जरार खांन, भाजपा के प्रभु बाडोलिया, बीएसपी के सूरज एवं सीपीआईएम के अख्तर जंग उपस्थित रहे।

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण

# जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक, हुई चर्चा

**बढ़ता राजस्थान**

**टोंक, (का.स.)।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे है। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियों देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट ेजजचेरूध्ध्अयजमतेण्मबपण्हवअण्पद पर उपलब्ध कराए गए है। यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते है।उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम रतन सौंकरिया, डीईओ सुशील कुमार अग्रवाल, आईएनसी के हरिप्रसाद बैरवा, सीपी श्रीवास्तव, जरार खांन, भाजपा के प्रभु बाडोलिया, बीएसपी के सूरज एवं सीपीआईएम के अख्तर जंग उपस्थित रहे।

# मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षणः जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

**टोंक (सच्चा सागर)।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे है।

इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियाँ देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद पर उपलब्ध कराए गए है।

यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते है।उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे।


## नाम परिवर्तन

मैं रणजीत मीणा पुत्र श्री भूरा लाल मीणा, जाति मीणा निवासी ग्राम गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक (राज.) हूं वर्तमान में मेरा नाम बाबू मीणा है, अब मैने अपना नाम बदलकर रणजीत मीणा रख लिया है, भविष्य में मुझे रणजीत मीणा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायें।

**रणजीत मीणा पुत्र श्री भूरा लाल मीणा**
**निवासी- ग्राम गुन्सी, तहसील निवाई, जिला-टोंक (राज.)**

## मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण

# जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

टोंक (ताज भारती)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (सआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे है। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियों देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए है।

यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते है। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। गणना पूर्ण होने के पश्चात विगत एसआईआर से मिलान या लिंकिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाकर पात्रता की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) के पास अपील कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका है। सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करना चाहिए। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बीएलए मतदाताओं तक विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी पहुँचाने, जनजागरण करने एवं मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहयोग देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीएलए प्रतिदिन 50 परिगणना प्रपत्र प्रमाणित कर बीएलओ को जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत एवं डुप्लिकेट नामों की सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान एवं लिंक से वंचित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्वाचक के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम एसआईआर से पहले उनके पूर्व निवास का पता लगाने के लिए सुनवाई होगी। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त कर उन पर निर्णय लिया जाएगा। कोई भी मतदाता अथवा बीएलए दावा एवं आपत्ति दर्ज कर सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विशेष रूप से वृद्धए दिव्यांगए बीमार एवं वंचित वर्गों की सहायता के लिए वॉलिन्टियर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। ये मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करेंगे। बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह विशेष पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे गणना प्रपत्र अवश्य भरें और मतदाता सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें ताकि भविष्य के चुनाव में उनका मताधिकार सुरक्षित रहे। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम रतन सौंकरिया, डीईओ सुशील कुमार अग्रवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के हरिप्रसाद बैरवा, सीपी श्रीवास्तव, जरांर खांन, भाजपा जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया, बीएसपी के सूरज एवं सीपीआईएम के अख्तर जंग आदि मौजूद थे।

## मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

# विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) में मीडिया व राजनैतिक दलों की सहभागिता जरूरी- जिला निर्वाचन अधिकारी

टोंक (ताज भारती)। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कल्पना अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से राजस्थान में भी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग का यह अभियान इस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है कि मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक, त्रुटि मुक्त एवं अद्यतन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और जो पात्र नहीं हैं, उनको नियमानुसार हटाया जा सकें। उन्होंने बताया कि यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत किय जा रहा है। आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को इस संबंध में प्रेस कांफ्रेस कर राजस्थान सहित 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने गुरुवार को जिला कलेक्टर सभागार टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि टोंक जिले में यह कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार चलाया जाएगा। जिसके तहत 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवम्बर 2025तक प्रशिक्षण व तैयारी, 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर गणना की जाएगी। 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026तक दावे आपत्ति प्राप्त किए जा सकेंगे, 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 26 तक नोटिस अवधि सुनवाई का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कल्पना अग्रवाल ने टोंक जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाता है। उन्होंने मतदाताओं की विधानसभावाईज जानकारी देते हुए बताया कि टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा में कुल 2 लाख 80 हजार 735 मतदाता है, जिनमें 1 लाख 42 हजार 605 पुरुष 1 लाख 38 हजार 129 महिला मतदाता शामिल है। वहीं निवाई विधानसभा क्षैत्र में कुल 2 लाख 94 हजार 307 मतदाताओं में से 1 लाख 50 हजार 974 पुरुष, 1 लाख 43 हजार 333 महिला मतदाता शामिल है।

उन्होंने बताया कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 66 हजार 577 मतदाताओं में से 1 लाख 35 हजार 401 पुरुष, 1 लाख 50 हजार, 298 महिला मतदाता शामिल है, साथ ही देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख 9 हजार 326मतदाताओं में से 1 लाख 59 हजार 27 पुरुष, 1 लाख 50 हजार 298 महिला मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि टोंक जिले में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाताओं में से 8 लाख 5 हजार लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। मैपिंग का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गहन पुनरीक्षण में मतदाता मैपिंग गतिविधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान एसआईआर का आधार 01 जनवरी 2002 के संदर्भ में जिले में सम्पादित विगत एसआईआर की मतदाता सूची है, जिन वर्तमान मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी अन्य संबंधी नाम एसआईआर 2002 की मतदाता सूची में है, उनकी मैपिंग का कार्य बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। बीएलओ ऐप पर मैपिंग हुए मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार जिले में बहुत कम मतदाता ही ऐसे होंगें, जिनकी मैपिंग नहीं होने से दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बीएलओ की भूमिका का जिक्र करते हुए बताया कि इस अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे, वे मतदाता की जानकारी पूर्ववर्ती सूची से सत्यापित करेंगे, लेकिन कोई दस्तावेज एकत्र नहीं करेंगे। साथ ही बीएलओ के पास नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 एवं घोषण पत्र भी उपलब्ध रहेंगे। राजनीतिक दलों की भागीदारी की चर्चा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया के माध्यमों से जिले के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करें। बूथ लेवल एजेंट एवं बीएलओ के बीच समन्वय से मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की साझा जिम्मेदारी है।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता स्वयं भी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। आयोग का लक्ष्य है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो।उन्होंने मीडिया माध्यमों से जिले के नागरिकों से यह अपील है कि वे अपने बीएलओ का सहयोग करें, जानकारी सही-सही दें और परिवार के सभी योग्य सदस्यों के नाम सूची में जुड़वाने की सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि परिगणना प्रपत्र पर वर्तमान मतदाता का पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लगाना आवश्यक है। इस अवसर पर अति. जिला कलेक्टर टोंक रामरतन सौंकरिया आदि मौजूद थे।

# प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो : कल्पना अग्रवाल

## टोंक जिले में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाताओं में से 8 लाख 5 हजार मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी

खबरों की दुनिया

**टोंक।** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) टोंक कल्पना अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से राजस्थान में भी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग का यह अभियान इस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है कि मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक, त्रुटि मुक्त और अद्यतन बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और जो पात्र नहीं है, उनको नियमानुसार हटाया जा सकें।उन्होंने बताया कि यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत किय जा रहा है। आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को इस संबंध में प्रेस कांफ्रेस कर राजस्थान सहित 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने गुरुवार को जिला कलक्टर सभागार टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि टोंक जिले में यह कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार चलाया जाएगा। जिसके तहत 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवम्बर 2025 तक प्रशिक्षण व तैयारी, 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर गणना की जाएगी।

9 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावे आपत्ति प्राप्त किए जा सकेंगे, 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 26 तक नोटिस अवधि सुनवाई का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) कल्पना अग्रवाल ने बताया कि टोंक जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाता है। उन्होंने मतदाताओं की विधानसभावाईज जानकारी देते हुए बताया कि टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 80 हजार 735 मतदाता है जिनमें 1 लाख 42 हजार 605 पुरुष 1 लाख 38 हजार 129 महिला मतदाता शामिल है। वहीं निवाई विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 94 हजार 307 मतदाताओं में से 1 लाख 50 हजार 974 पुरुष, 1 लाख 43 हजार 333 महिला मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 66 हजार 577 मतदाताओं में से 1 लाख 35 हजार 401 पुरुष, 1 लाख 50 हजार, 298 महिला मतदाता शामिल है, साथ ही देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख 9 हजार 326 मतदाताओं में से 1 लाख 59 हजार 27 पुरुष, 1 लाख 50 हजार 298 महिला मतदाता शामिल है। उन्होंने बताया कि टोंक जिले में कुल 11 लाख 50 हजार 945 मतदाताओं में से 8 लाख 5 हजार (लगभग 70 प्रतिशत) मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। मैपिंग का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गहन पुनरीक्षण में मतदाता मैपिंग गतिविधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्ट्रक का आधार 01.01.2002 के संदर्भ में जिले में सम्पादित विगत SIR की मतदाता सूची है। जिन वर्तमान मतदाताओं अथवा उनके माता‌/पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, अन्य संबंधी नाम SIR 2002 की मतदाता सूची में है, उनकी मैपिंग का कार्य बीएलओ द्वारा किया जा रहा है।

बीएलओ ऐप पर मैपिंग हुए मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार जिले में बहुत कम मतदाता ही ऐसे होगें जिनकी मैपिंग नहीं होने से दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

उन्होंने बीएलओ की भूमिका का जिक्र करते हुए बताया कि इस अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर Enumeration Form भरवाएंगे। वे मतदाता की जानकारी पूर्ववर्ती सूची से सत्यापित करेंगे लेकिन कोई दस्तावेज एकत्र नहीं करेंगे। साथ ही बीएलओ के पास नए मतदाताओं के लिए Form-6 और Declaration Form भी उपलब्ध रहेंगे।

राजनीतिक दलों की भागीदारी की चर्चा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया के माध्यमों से जिले के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करें। बूथ लेवल एजेंट और बीएलओ के बीच समन्वय से मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता स्वयं भी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन Enumeration Form सकते हैं। आयोग का लक्ष्य है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने मीडिया माध्यमों से जिले के नागरिकों से यह अपील है कि वे अपने बीएलओ का सहयोग करें, जानकारी सही-सही दें और परिवार के सभी योग्य सदस्यों के नाम सूची में जुड़वाने को सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि परिगणना प्रपत्र परवर्तमान मतदाता का पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लगाना आवश्यक है।

## जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

# मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण

**न्यूज सर्विस/नवज्योति, टोंक।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का द्वितीय चरण 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग के माध्यम से अद्यतन की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। मतदाता नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाकर प्रपत्र भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे और उन्हें प्रपत्र भरने में सहायता देंगे। इसके अलावा, मतदाता इसे ऑनलाईन भी भर सकते हैं। भरें हुए प्रपत्र सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को जमा कराए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) शीघ्र नियुक्त करना चाहिए, जो मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने और फॉर्म भरने में सहयोग देंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। इसमें शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट नामों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क और वॉलिंटियर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों में आईएनसी के हरिप्रसाद बैरवा, सीपी श्रीवास्तव, जर्रार खांन, भाजपा के प्रभु बाडोलिया, बीएसपी के सूरज, सीपीआईएम के अख्तर जंग शामिल थे। जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने गणना प्रपत्र अवश्य भरें और मतदाता सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें ताकि उनके मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा में 2 लाख 80 प्रकार जिले में बहुत कम मतदाता हो एसे होंग, सांकरिया आदि मौजूद थे।

## मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान

# जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जानकारी

द पुलिस पोस्ट

**टोंक।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (सआईआर) के द्वितीय चरण का शुभारंभ राजस्थान सहित 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशो में किया गया है। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाना है, इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे है, इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी, इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियों देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारत वर्ष के डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए है। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। गणना पूर्ण होने के पश्चात विगत एसआईआर से मिलान या लिंकिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाकर पात्रता की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) के पास अपील कर सकते है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका है। सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करना चाहिए। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बीएलए प्रतिदिन 50 परिगणना प्रपत्र प्रमाणित कर बीएलओ को जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत एवं डुप्लिकेट नामों की सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान एवं लिंक से वंचित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्वाचक के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम एसआईआर से पहले उनके पूर्व निवास का पता लगाने के लिए सुनवाई होगी। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त कर उन पर निर्णय लिया जाएगा। कोई भी मतदाता अथवा बीएलए दावा एवं आपत्ति दर्ज कर सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विशेष रूप से वृद्धए दिव्यांगए बीमार एवं वंचित वर्गों की सहायता के लिए वॉलिन्टियर्स नियुक्त किए जा रहे हैं।

ये मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करेंगे। बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह विशेष पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे गणना प्रपत्र अवश्य भरें और मतदाता सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें ताकि भविष्य के चुनाव में उनका मताधिकार सुरक्षित रहे। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम रतन सौंकरिया, डीईओ सुशील कुमार अग्रवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, सीपी श्रीवास्तव, जर्रार खान, भाजपा जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया, बीएसपी के सूरज एवं सीपीआईएम के अख्तर जंग आदि मौजूद थे।

मसूदा। नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार पक्षी घर का निर्माण किया गया इस पक्षी निर्मा

# जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को दी जानकारी

## 7 फरवरी 2026 तक चलेगी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की प्रक्रिया

मरूधर आईना
www.marudharaaina.com

**जालोर (उजीर सिलावट)।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरूवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में एसआईआर के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई ।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के मुद्रण व प्रशिक्षण 28 से 03 नवम्बर तक आयोजित किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर परिणगना पत्र भरने का कार्य 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जायेगा तथा 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावें व आपत्तियों प्राप्त की जायेगी। ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस पर सुनवाई व सत्यापन की तिथि 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमके तहत बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर पहुँच परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया जायेगा जिस पर मतदाताओं को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करने तथा वांछित सूचनाएँ भरनी होगी। परिगणना प्रपत्र को बीएलओ द्वारा पुनः घर-घर पहुँच संग्रहण किया जायेगा। एसआईआर का उद्देश्य स्वस्थ मतदाता सूचियों का निर्माण करना है जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति सहित स्वस्थ मतदाता सूचियों के निर्माण के लिए विस्तार से चर्चा की गई ।

### ये रहे मौजूद

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाड़ा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लादेश शर्मा, निर्वाचन शाखा के शंभुसिंह, भाजपा के केशव व्यास, सुरेश सोलंकी व डिंपल सिंह, आईएनसी के भंवरलाल मेघवाल, रमेश सोलंकी व सैयद मुमताज अली सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

# जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को दी जानकारी 7 फरवरी 2026 तक चलेगी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की प्रक्रिया

**रानीवाड़ा से प्रवीण राठौड़ की रिपोर्ट।**

**जालोर ।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में एसआईआर के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के मुद्रण व प्रशिक्षण 28 से 03 नवम्बर तक आयोजित किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर परिगणना पत्र भरने का कार्य 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जायेगा तथा 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावें व आपत्तियों प्राप्त की जायेगी। ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस पर सुनवाई व सत्यापन की तिथि 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमके तहत बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर पहुँच परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया जायेगा जिस पर मतदाताओं को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करने तथा वांछित सूचनाएँ भरनी होगी। परिगणना प्रपत्र को बीएलओ द्वारा पुनः घर-घर पहुँच संग्रहण किया जायेगा। एसआईआर का उद्देश्य स्वस्थ मतदाता सूचियों का निर्माण करना है जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट httpsÑ//election.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति सहित स्वस्थ मतदाता सूचियों के निर्माण के लिए विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाड़ा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लादेश शर्मा, निर्वाचन शाखा के शंभुसिंह, भाजपा के केशव व्यास, सुरेश सोलंकी व डिंपल सिंह, आईएनसी के भंवरलाल मेघवाल, रमेश सोलंकी व सैयद मुमताज अली सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

# जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को दी जानकारी

## 7 फरवरी 2026 तक चलेगी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की प्रक्रिया

**भौंपू की आवाज**

**जालोर ।** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरूवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में एसआईआर के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के मुद्रण व प्रशिक्षण 28 से 03 नवम्बर तक आयोजित किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर परिणगना पत्र भरने का कार्य 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जायेगा तथा 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावें व आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस पर सुनवाई व सत्यापन की तिथि 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमके तहत बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर पहुँच परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया जायेगा जिस पर

मतदाताओं को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करने तथा वांछित सूचनाएँ भरनी होगी। परिगणना प्रपत्र को बीएलओ द्वारा पुनः घर-घर पहुँच संग्रहण किया जायेगा। एसआईआर का उद्देश्य स्वस्थ मतदाता सूचियों का निर्माण करना है जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट httpsÑ//election.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति सहित स्वस्थ मतदाता सूचियों के निर्माण के लिए विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाड़ा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लादेश शर्मा, निर्वाचन शाखा के शंभुसिंह, भाजपा के केशव व्यास, सुरेश सोलंकी व डिंपल सिंह, आईएनसी के भंवरलाल मेघवाल, रमेश सोलंकी व सैयद मुमताज अली सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

### 7 फरवरी 2026 तक चलेगी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की प्रक्रिया

# बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जानकारी

**जालोर @ पत्रिका.** विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में एसआईआर के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई।

जालोर. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर पर जानकारी देते कलक्टर।

जिला निर्वाचन अधिकारी गावंडे ने बताया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के मुद्रण व प्रशिक्षण 28 से 3 नवम्बर तक आयोजित किया जा रहा हैं। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर परिगणना पत्र भरने का कार्य 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जाएगा तथा 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावें व आपत्तियों प्राप्त की जाएगी। ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस पर सुनवाई व सत्यापन की तिथि 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर पहुंच परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया जाएगा। जिस पर मतदाताओं को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करने तथा वांछित सूचनाएं भरनी होगी।

परिगणना प्रपत्र को बीएलओ की ओर से घर-घर पहुंच संग्रहण किया जाएगा। एसआईआर का उद्देश्य स्वस्थ मतदाता सूचियों का निर्माण करना हैं। जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति सहित स्वस्थ मतदाता सूचियों के निर्माण के लिए विस्तार से चर्चा की गई।

# राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का हुआ आयोजन

सिरोही, 30 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में जिला कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अवगत करवाया गया कि जिले में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके तहत 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 8 लाख 53 हजार 788 मतदाता है। बैठक में अवगत करवाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 4 नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेगें।

# दैनिक नवज्योति

Jalore-Sirohi - 31 Oct 2025 - Page 9


# राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का हुआ आयोजन

नवज्योति/सिरोही।

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि जिले में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके तहत 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा, 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 8 लाख 53 हजार 788 मतदाता है बैठक में अवगत करवाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 4 नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेगें।


**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, कृषि परिसर (आत्मा) खोजागेट, बून्दी**

Email Id- SEWDSC.BUNDI@RAJASTHAN.GOV.IN

**ई-निविदा सूचना संख्या 16/2025-26**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बून्दी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - 20 अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 मद अन्तर्गत राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं

पत्रिका

...त कर जांच करवाई तो सर्टिफिकेट ...के बाद एक कई सर्टिफिकेट संदिग्ध ...आया।

जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। फिलहाल मामला सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री ने एसओजी को जांच के लिए लिखा है। एसओजी की

संदिग्ध प्रमाण पत्र

**सिरोही** के अलावा जयपुर, भरतपुर,

# 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा

**सिरोही @ पत्रिका.** भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के संबंध में जिला कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवगत करवाया कि जिले में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि 3 नवबंर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 8 लाख 53 हजार 788 मतदाता है।

**बीएलए मतदाताओं को करें जागरूक:** राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में अधिक से अधिक सहभागिता के लिए अनुरोध किया, ताकि निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही अवगत करवाया गया कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम इस प्रक्रिया में छूटे नहीं। उन्होंने बताया कि बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के बीएलए प्रत्येक बूथ पर आम मतदाताओं को इस अभियान के बारे में जागरूक करें। इस दौरान मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं कार्य की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में उपखंड अधिकारी सिरोही हरिसिंह देवल समेत अन्य मौजूद रहे।

।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।। ।।राम।।

31/10/2025 | Sirohi | Page : 1
Source : https://epaper.patrika.com/

दैनिक भास्कर
सिरोही-आबूरोड भास्कर 31-10-2025

एसएचओ को सूचित किया। जिससे उसे बचा लिया।

देता है। यहां की टीम संबंधित क्षेत्र और प्रदेश के अन्य जिलों की पुलिस को अलर्ट करती हैं।

# एसआईआर : वोटर लिस्ट की पड़ताल शुरू

भास्कर न्यूज | सिरोही

## सत्यापन : 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक नोटिस फेज

भारतनिर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार मतद ता सूचियों के विशेष गहन पुनर क्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एसआईआर की 28 अक्टूबर से शुरू प्रक्रिया 7 फरवरी तक प्रक्रिया चलेगी।

3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां लेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस फेज रहेगा इसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिले में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 8 लाख 53 हजार 788 मतदाता है। बैठक में अवगत करवाया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 4 नवम्बर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।

## कार हादसे में युवक की मौत

दसवीं पुण्य तिथि